fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k ds eq[;ky; fuxe fcgkj f'keyk&2 ds y[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 04@2010 ls 03@2011

Hkkx&,d

1 ¼d½ izLrkouk %&

निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0एस0सी0 सूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव व श्री जगदीप पनवर मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा मुख्यालय में क्रमषः नियन्त्रण एवं आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

¼[k½ fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k ds eq[;ky; fuxe fcgkj f'keyk&2 ds y[kkvksa vof/k 04@2010 ls 03@2011 ds vads{k.k izfrosnu esa mYysf[kr xEHkhj vfu;ferrkvksa dk laf{kIr fooj.k

Øe la[;k	xEHkhj vfu;ferrk dk laf{kIr fooj.k	iSjk la[;k	jkf'k ¼₹½ yk[kksa esa
1	दिनांक 31.03.11 तक ग्राऊंड रैन्ट की राषि आबंटियों से वसूली हेतु शेष	4	18.38
2	विभिन्न विभागों/उपक्रमों को बिना ब्याज के करोड़ों की वित्तीय सुविधा अनुचित/अनियमित प्रकार से प्रदान करने पर हिमुडा को लाखों रुपये के ब्याज की हानि	4.1	4164.00
3	यात्रा भत्ता, अवकाष रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय, स्टाफ अग्रिम व विविध अग्रिमों का कई वर्षों से वूसली/समायोजन न करना	5	7.36

4	लेखन व मुद्रण विभाग से 31.03.11 तक अग्रिम राषि का समायोजन शेष	6	3.72
5	विविध अग्रिमों का अनेक वर्षों से समायोजन न करना	7	4.11
6	ब्याज के रूप में कम राषि की प्राप्ति	8.2	0.82
7	सावधि निवेष में अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तषेष में दर्षाना	8.7	11.91
8	सावधि निवेष लेखा (मुख्य लेखा) के शडयूल व खाता बही शेष में अन्तर पाया जाना	8.8	0.20
9	बैंक प्रमाण पत्र व सावधि अभिलेख में राषि का अन्तर पाया जाना	8.10	4.54
10	सावधि निवेष पर उचित निर्णय न लिए जाने के कारण ब्याज के रूप में हानि	8.11	33.02
11	राषि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना तथा उक्त राषि के समायोजन हेतु कोई प्रयास न करना	10	9678.63
12	ओवर ड्राफ्ट के ब्याज की राषि को अनुचित प्रकार से वर्क इन प्रोग्रैस लेखा शीर्ष में समाहित करना	11	87.84
13	ऋण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार/प्रस्तुत न करना	12	591.91
14	पूंजी/फण्ड तुलन पत्र में न दिखाना	13	3438.84
15	ग्रेच्यूटी फण्ड बनाकर निजि इन्षयोरैन्स कम्पनियों की यूनिट लिंक्ड फण्ड में असुरक्षित निवेष	14	337.00
16	स्थापना व्यय (वेतन व भत्ते) को अनुचित प्रकार से कार्यों/परियोजनाओं/स्कीमों में डैबिट करना	15	250.83
17	राषि को स्वतः स्पष्ट विवरण के बिना Reserve and Surplus schedule के अर्न्तगत दर्षाया जाना	16	366.16

18	विभिन्न आवासीय बस्तीयों से पिछले कई वर्षों से वसूली न करना न ही आबंटन रद करना	17	57.29
19	धरोहर राषि को जब्त न करना	17.1	26.36
20	एफ0बी0टी0 (Fring Benefit tax) की अग्रिम भुगतान की गई राषि को लाभ हानि खाते में अनुचित व्यय दिखा कर समायोजित किया जाना	18	20.75
21	विज्ञापनों पर अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय व राषि ₹1,90,188 का सरकारी खजाने को हानि पहुंचाना	19	12.68
20	अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाष खातों को पूर्ण/सत्यापित किए बिना अवकाष नकदीकरण का अनियमित भुगतान	20	7.47
21	श्री रतन चन्द, सहायक अभियन्ता को वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	21	0.60
22	विज्ञापनों के एवज़ में सम्पादक को अधिक भुगतान	22	0.56
23	श्री रोषन लाल प्रारूपकार को गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	23	0.10
24	रोकड़ बही का लेखांकन/रख–रखाव उचित प्रकार से न करने के कारण अन्तर	33	28.17

¼x½ xr vad{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्षाई गई है। वर्ष 1984–85 से 2009–10 तक मुख्यालय से सम्बन्धित लगभग 219 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

Øe l[;k	o"k	'k"k ijk dh l[;k	Øe l[;k	o"k	'k"k ijk dh l[;k
1	1984—85	1	10	2002—2003	7
2	1990—91	3	11	2003—2004	1
3	1992—93	3	12	2004—2005	14
4	1996—97	1	13	2005—2006	11
5	1997—98	5	14	2006—2007	8
6	1998—99	1	15	2007—2008	15
7	1999—2000	5	16	2008—2009	14
8	2000—2001	11	17	2009—2010	52
9	2001—2002	13			
	;kx	43		;kx	122

iol f'keyk fodkl ikf/kdj.k ds eq[;ky; ls lEcfU/kr ijk

18	1989—90	1	24	1995—96	5
19	1990—91	1	25	1996—97	11
20	1991—92	3	26	1997—98	11
21	1992—93	2	27	1998—99	7
22	1993—94	2	28	1999 से 2001	8
23	1994—95	3			
	;kx	12		;kx	42

अतः सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार षिमला—2 के उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिष्चित करें।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

अवधि 4/2010 से 3/2011 तक का अंकेक्षण कार्य श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेषक, के पर्यवेक्षण में सर्व श्री सुरेष चन्द गुप्ता, सहायक नियन्त्रक, अनिल शर्मा, अनिल मेहरा, रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारियों व श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04.02.2012 से 04.04.12 तक प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार षिमला–2 में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 3/11 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणाम आगामी पैराग्राफ में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरण के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 4/2010 से 3/2011 तक के आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के अंकेक्षण की लेखा परीक्षा शुल्क ₹3,22,600/– आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला–9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, षिमला–2 को अधियाचना संख्याः 225, दिनांक 05.04.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 fnukad 31-03-11 rd xzkÅaM jsaV dh jkf'k ₹18-38 yk[k vkcafV;ksa ls olwyh gsrq 'ks"k %&

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्षियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट की राशि प्रतिवर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। ग्राऊंड रेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने व अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि आबंटियों से दिनांक 31.03.2011 तक ₹18,38,477 की राषि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट 'क' में संलग्न है। जाँच करने पर यह भी पाया गया कि अधिकतम राषियाँ गत 20 वर्षों से लम्बित चली आ रही हैं तथा वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। ग्राऊंड रैन्ट की वसूली हेतु शेष राषि ₹18,38,477 का लेखांकन तुलन पत्र में नहीं किया जा रहा है यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस त्रुटि के सुधार हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तुलन पत्र में लम्बित आय को न दर्षाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनेक वर्षों से लम्बित चली आ रही आय की प्राप्ति/वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में लम्बित आय की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाएं।

4-1 fofHkUu foHkkxk@miØek dk fcuk C;kt ds jkf'k ₹41-64 djkM+ dh foÙkh; lfo/kk vufpr@vfu;fer i`dkj ls inku djds fgeMk dk yk[kk #i;k ds C;kt dh gkfu %&

हिमुडा के वार्षिक लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा डिपोज़िट वर्क के आधार पर विभिन्न विभागों/निगमो के निर्माण कार्यों का निष्पादन अग्रिम राषियों की प्राप्ति के बिना किया गया था। सी0पी0 डब्लयू0डी0 मैनुअल के पैरा 118 के अनुसार समस्त राषि दायित्व सृजन से पूर्व वसूल की जानी वांछित थी। परन्तु हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके विपरीत विभिन्न विभागों/निगमो के डिपोजिट कार्य बिना राषियों की प्राप्ति के ही किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2005–2006 में ₹15.53 करोड़, वर्ष 2006–2007 में ₹14.61 करोड़, वर्ष 2007–2008 में ₹14.11 करोड़, वर्ष 2008–2009 में ₹18.53 करोड़, वर्ष 2009–2010 में ₹28.57 करोड़ व वर्ष 2010–2011 में ₹41,63,82,680.10 की राषि के कार्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से बिना धन राषि की प्राप्ति के ही कर दिए गए जिसके परिणामस्वरूप इन निर्माण कार्यों पर हिमुडा बिना किसी ब्याज की प्राप्ति के निवेष कर रहा है। हिमुडा विभिन्न कलौनियों के आबंटियों से 12 से 14% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करता है तथा निर्माण कार्यों के लिए 10% से 12% तक की दर से ब्याज का भुगतान कर्जदाता को करता है जबकि निक्षेप कार्यों (डिपोज़िट वर्क) पर प्राप्त राषियों से अधिक व्यय की गई राषि पर ब्याज वसूल नहीं किया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपयों की हानि ब्याज के रूप में हिमुडा को हो रही है। पूर्व अभिलेखानुसार यह स्थिति वर्षानुवर्ष बढ़ती ही जा रही है यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व वर्षों में बार–बार प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन में यह गम्भीर आपत्ति उठाई थी फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके समाधान हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि अनेक प्रकरणों में राषियाँ वसूली हेतु लम्बी अवधि से लम्बित चली आ रही हैं। हिमुडा कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में संस्थावार कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नहीं किया गया जिसके कारण लम्बित राषियों से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट शडयूल भी तुलन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया था। हिमुडा द्वारा एक तरफ आबंटियों से ब्याज व समय पर किस्त भुगतान न करने पर दण्ड ब्याज भी ऊंची दर से प्राप्त करना तथा स्वयं लिए गए ऋणों पर करोड़ों रुपयों का भुगतान ब्याज के रूप में करना व सरकारी विभागों/उपक्रमों/अन्य संस्थाओं के निर्माण कार्यों को वित्तीय सुविधा शुन्य/बिना ब्याज पर उपलब्ध करवाना अपने आप में ही हास्यस्पद व आबंटियों के साथ अन्याय है। विभिन्न संस्थाओं/से ली जाने वाली राषि का वर्ष वार विवरण निम्न वर्णित है। यद्यपि लम्बित राषियों की वसूली बारे विस्तृत सूचना अर्थात यह राषियाँ किस निर्माण कार्य/विभाग से सम्बन्धित हैं किस वर्ष से यह राषियाँ लम्बित चली आ रही हैं इत्यादि बारे सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्यः 006, दिनांक 08.02.2012 तथा अनुस्मारकों के माध्यम से मांगी गई परन्तु कोई भी सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु विषेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

fooj.k @ o"kZ	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11
विभिन्न विभाग / उपक्रम	8,57,19,819	8,78,83,962.98	9,36,17,475.32	16,47,88,177.75	26,50,86,338.75	39,56,98,834.10
पुलिस विभाग	1,19,93,204.30	1,20,15,625.30	1,21,69,162.30	67,24,787.30	68,68,387.30	68,96,241.55
नवोदय विद्यालय	92,58,288.16	92,64,122.16	92,68,486.16	93,79,963.16	93,79,963.16	93,79,963.16
रैटंल हाऊसिंग स्कीम	4,83,01,897.79	3,69,42,364.29	2,61,18,641.29	44,86,697.29	44,07,641.29	44,07,641.29
;kx	15]52]73]209-25	14]61]06]074-73	14]11]73]765-07	18]53]79]625-50	28]57]42]330-50	41]63]82]680-10

5 jkf'k ₹7-36 yk[k dh ;k=k HkÙkk] vodk'k fj;k;r ;k=k] fpfdRlk 0;;] LVkWd vfxze o fofo/k vfxzeksa dh dbZ o"kksZa ls olwyh@lek;kstu u djuk ½&

विभिन्न अग्रिमों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियों विभिन्न अग्रिमों के रूप में गत कई वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में यह राषियाँ कब से व किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित हैं। अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। इन अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनांक 31.03.2011 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ ₹7,36,422.93 के विभिन्न अग्रिमों भुगतानों का सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्ड–ब्याज सहित वसूली करके समायोजन किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

[kkrk cgh i"B	vfxze dk fooj.k	fnukd 31-03-2011 dks vfxze dh cdk;k jkf'k olwyh@lek;kstu gsrq 'ks"k
558	स्टाफ अग्रिम	23,589.46
563	यात्रा भत्ता अग्रिम	1,31,464.15
447	अवकाष रियायत यात्रा अग्रिम	17,030.50

491	चिकित्सा व्यय अग्रिम	16,660.57
468	स्कूटर अग्रिम (नगर विकास प्राधिकरण)	28,250.00
523	विवध अग्रिम (मुद्रण लेखन विभाग)	3,72,075.94
482	विविध अग्रिम (अन्य फर्में व विभाग)	1,47,352.51
	d|y ;kx	₹7]36]423-13

6 y[ku o en.k foHkkx l 31-03-11 rd vfxze jkf'k ₹3-72 yk[k dk lek;ktu 'k"k %&

लेखा शीर्ष ''विविध अग्रिम'' की जाँच करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेष के नाम ₹3,72,075 की राषि दिनांक 31.03.2011 को समायेाजन हेतु शेष थी वर्ष 2003–2004 से इस राषि की स्थिति निम्न प्रकार थी :–

[kkrk cgh i"B l[;k	foÙkh; o"k	vfxze jkf'k ¼₹½ e	o"k e lek;kftr jkf'k ¼₹½ e	o"kkUr e cdk;k jkf'k ¼₹½ e
485	2003–2004	1,66,342.94	1,01,740.00	64,602.94
491	2004–2005	1,85,593.00	2,06,307.00	43,888.94
404	2005–2006	2,00,000.00	1,81,218.00	62,670.94
121	2006–2007	2,50,000.00	2,39,020.00	73,650.94
472	2007–2008	3,75,000.00	3,14,135.00	1,34,515.94
437	2008–2009	3,50,000.00	1,39,788.00	3,44,727.94
562	2009–2010	3,00,000.00	2,86,756.00	3,57,971.00
523	2010–2011	1,50,000.00	1,35,896.00	3,72,075.00

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अग्रिम राषियों का भुगतान उनके पास शेष राषि होने पर भी किया गया था जो दिनांक 31.03.2011 तक बढ़कर 3,72,075.00 तक हो गई है। ₹3,57,971.00 की राषि का समायोजन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों के साथ लम्बी अवधि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है इस राषि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि पाए गए अन्तषेष के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण पत्र लेखन एवं सामग्री विभाग से प्राप्त नहीं किया गया जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाती। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई जाती रही है

फिर भी राषि के समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवष्यक छानबीन एवं निपटारे हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाई जाती है।

7 <u>₹4-11 yk[k d fofo/k vfxek dk vud o"kk l lek;ktu u djuk ½&</u>

तुलन पत्र व खाता बही पृष्ठ संख्याः 244 पर विविध अग्रिम लेखा शीर्ष में ₹4,11,145.51 की राषि डैबिट के रूप में दर्षाई गई। जाँच करने पर पाया गया कि यह राषि वर्ष 2002—03 से भी पीछे से लम्बित चली आ रही है परन्तु हिमुडा अधिकारियों द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। अंकेक्षण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह अग्रिम राषियाँ किन व्यक्तियों संस्थाओं से ली जानी है तथा किस वाऊचर व दिनांक को यह अग्रिम भुगतान किए गए थे से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनेक बार आपत्ति उठाई गई थी फिर भी निपटारे हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न किए जाने व दीर्घकाल से इस राषि की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त आपत्ति आवष्यक उचित कार्रवाई किए जाने हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाई जाती है।

8 <u>e[; dk;ky; lkof/k y[kk ½&</u>

मुख्य कार्यालय के सावधि लेखा की पड़ताल करने पर निम्न अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई

<u>jkf'k ₹50 yk[k lkof/k fuo'k dh jkf'k dk ikp l N o"k i'pkr fcuk C;kt ikflr d lekfgr djuk ½&</u>

सावधि निवेष रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 139 पर इलाहाबाद बैंक की षिमला ब्रांच में दिनांक 07.11.06 को राषि ₹50 लाख निवेष की गई दर्षाई गई जिस पर दिनांक 31.03.2010 तक ₹11,33,333.00 की राषि ब्याज के रूप में अर्जित दर्षाकर इस राषि को इन्टरैस्ट रिसीवेबल लेखा शीर्ष को क्रैडिट दर्षाकर हिमुडा की आय के रुप में दर्षाया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत शडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में इन्टरैस्ट रिसीवेबल की ₹11,33,333.00 की राषि को आय न मान कर इस राषि को इन्टरैस्ट रिसीवेबल की राषि को शून्य कर दिया गया व वास्तव में प्राप्त हुई ब्याज को शून्य मान कर सावधि निवेष को ₹50 लाख की राषि को भी बिना तथ्यों को स्पष्ट किए सावधि निवेष राषि को कम कर दिया गया। सावधि निवेष रजिस्टर की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि किए गए निवेष की स्थिति स्वतः स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं की गई तथा न ही की गई अधूरी टिप्पणियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित ही थी। हिमुडा लेखा में 5 से 6 वर्षों तक ₹50 लाख का निवेष दर्षाया जाना व पूर्व में अर्जित ब्याज को शुन्य दर्षाया जाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। जिस बारे स्थिति ठोस तथ्यों सहित स्वतः स्पष्ट रूप में प्रस्तुत की जाए।

8-1 jkf'k ₹22.54 yk[k dh jkf'k fnukad 31-03-2010 rd bUVjLV fjlhoscy e as n'kkZdj oriekz vads{k.k vof/k es 'kwU; n'kkZ;k tkuk %&

सावधि निवेष से सम्बन्धित शडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में दर्षाए गए निवेष में ₹22,54,247.00 की राषि दिनांक 31.03.2010 को प्रारम्भिक शेष के रूप में इन्टरैस्ट रिसीवेबल लेखा शीर्ष में दर्षाई गई थी। परन्तु शडयूल में यह वर्णित नहीं किया गया कि पूर्व में दर्षाया गया अर्जित ब्याज कौन से निवेषों से सम्बन्धित था। केवल यह ही दर्षाया गया कि यह दिनांक 03.03.2006 से सम्बन्धित था। परन्तु सावधि निवेष रजिस्टर इस बारे कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है। अंकेक्षण अवधि में ₹22,54,247.00 की इन्टरैस्ट रिसीवेबल राषि को घटा कर उक्त लेखा शीर्ष से यह राषि बिना किसी स्पष्ट उल्लेख के कम कर दी गई। पाई गई त्रुटि अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता को दर्षाता है जिस बारे स्वतः स्पष्ट रूप में ठोस तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए।

8-2 jkf'k ₹0-82 yk[k ds C;kt ds :i es de izkIr gksuk %&

सावधि निवेष रजिस्टर पृष्ठ 79 व शडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि राषि ₹4.00 करोड़ को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, षिमला में दिनांक 28.10.2010 से 29.11.2010 तक 5.50% ब्याज दर पर निवेष किए गए। परिपक्वता दिनांक 29.11.2010 को ब्याज के रूप में ₹1,10,475.00 की राषि प्राप्त हुई दर्षाइ गई जबकि सही गणनानुसार राषि ₹1,92,876.00 प्राप्त की जानी आपेक्षित थी। अतः राषि ₹82,401.00 बयाज के रूप में कम प्राप्त किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कम प्राप्त ब्याज की प्राप्ति हेतु मामला सम्बन्धित बैंक के साथ उठा कर ₹82,401 प्राप्त करके रोकड़ बही में जमा किया जाए।

8-3 jkf'k ₹8]13]167-00 ds izkIr C;kt dh lR;rk dh iqf"V u gks ikuk o izkIr C;kt ds fo:) doy ₹7]44]993-00 gh izkIr gq, n'kkZuk %&

यूकों बैंक निगम बिहार में दिनांक 07.05.2008 को छः मास की अवधि के लिए 8% ब्याज दर पर निवेषित की गई जिसे दिनांक 07.11.2008 व 09.04.2009 को पुनः निवेष ब्याज सहित किया जाता रहा परन्तु हिमुडा द्वारा तैयार निवेष रजिस्टर पृष्ठ 51 पर समय–समय पर किए गए निवेष का विवरण का उल्लेख स्वतः स्पष्ट रूप से न किए जाने के कारण दर्षाया गया प्राप्त ब्याज की आवष्यक जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि प्राप्त हुए दर्षाये गये ब्याज के विरूद्ध केवल ₹7,44,993.00 ही ब्याज प्राप्ति के रूप दर्षाए गए जो कि ₹68,174.00 कम पाए गए। किए गए निवेष के समबन्ध में सम्बन्धित बैंक से आवष्यक प्रमाण पत्र ब्याज भुगतान राषि का विवरण स्वतः स्पष्ट रूप में दिनांक 07.05.2008 से 09.04.2010 तक प्राप्त करके आवष्यक जाँच व सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि प्राप्त हुए ब्याज की सही जाँच की जा सके।

8-4 <u>lkof/k fuos'k ls lEcfU/kr lwpuk lkof/k fuos'k jftLVj o rS;kj 'kM;wy esa Lor% Li"V :i ls u fd;k tkuk%&</u>

हिमुडा लेखा से समय–समय पर किए गए सावधि निवेषों की जाँच करने पर पाया गया कि किए गए निवेषों से सम्बन्धित सूचना यथा लागू ब्याज दर, निवेष अवधि, परिपक्वता पर प्राप्त/बैंक द्वारा दी गई राषि, पुनः निवेष की स्थिति में लागू ब्याज दर समय अवधि का स्वतः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था तथा न ही परिपक्वता पर पुनः निवेष की स्थिति में आवष्यक उचित लेखांकन, प्राप्त ब्याज/संषोधित मूल राषि के सम्बन्ध में नहीं किया गया पाया जिस कारण सावधि लेखा स्वतः स्पष्ट स्थिति न दर्षाकर निवेष बारे सही स्थिति स्पष्ट नही होती। इसके अतिरिक्त पुनः निवेषित राषियों की स्थिति को तैयार किए गए शडयूल में पूर्व अवधि बारे उचित सूचना न दर्षाकर केवल वर्तमान सूचना का ही उल्लेख किया गया है उदाहरणार्थ निवेष वर्ष 2006 में किया गया जो कि वर्ष 2008 में परिपक्वता पर इसे पुनः निवेषित कर दिया गया परन्तु तैयार शडयूल इस सम्बन्ध में कोई भी स्थिति न दर्षाकर केवल वर्ष 2008 को किए गए पुनः निवेष की सूचना ही दर्षाता है। करोड़ों सावधि रुपयों के निवेष बारे सम्बन्धित शाखा द्वारा आवष्यक अभिलेख नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया था तथा अनेक त्रुटियाँ अभिलेख में पाई गई, जोकि अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमिता को दर्षाता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में गत वर्षों से अनेक आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई विषेष ध्यान नहीं दिया गया। सावधि निवेष रजिस्टर तथा तुलन पत्र के साथ संलग्न शडयूल उचित प्रकार से तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला आवष्यक कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

8-5 <u>lek;kstu okÅpj la[;k 169] o"kZ 2010&2011] jkf'k ₹1]10]475-00</u>

<u>Lkek;kstu okÅpj la[;k 170] o"kZ 2010&2011] jkf'k ₹6]10]392-00</u>

<u>jkf'k ₹7]20]867-00 dk C;kt izkfIr dks :i esa u n'kkZ;k tkuk rFkk bruh gh jkf'k lEcfU/kr cSad ys[kk dks MsfcV Hkh u djuk%&</u>

उपरोक्त वर्णित समायोजन वाऊचरों द्वारा ब्याज प्राप्ति लेखा शीर्ष में ₹7,20,867.00 की राषि डैबिट तथा इतनी ही राषि इन्टरैस्ट रिसीवेबल लेखा शीर्ष को क्रैडिट की गई। यह समायोजन सावधि लेखा में निवेषित राषियों पर प्राप्त हुए ब्याज को रोकड़ बही मे लेखाबद्ध न करने के कारण से किया गया दर्षाया गया जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि समायोजन मेल न करता ब्याज की प्राप्ति को आय के रूप में न दर्षाकर इसे कम कर दिया गया। वास्तव में दिए गए विवरण के आधार पर ब्याज प्राप्ति लेखा शीर्ष को यह राषि क्रैडिट तथा बैंक लेखा (यूनियन बैंक) राषि ₹1,10,475.00 व यूको बैंक को ₹6,10,392.00 की राषि डैबिट की जानी अपेक्षित थी। गलत प्रकार से किए गए समायोजन के परिणाम स्वरूप हिमुडा की आय को ₹6,10,392.00 से कम करके सम्बन्धित बैंक लेखों को भी कम करके दर्षाया गया। उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितता बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवष्यक सुधार नियमानुसार करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

8-6 leLr cSdks ls VhOMhO,lO@L=ksr ij vk; dj dh dVkSrh lEcU/kh iek.k&i= ikIr u djuk

राशि ₹28,46,251.00 को समायोजन वाऊचर संख्याः 163, वर्ष 2010–2011 द्वारा टी0डी0एस0 अकाऊंट को क्रैडिट किया दर्षाया गया हैं वाऊचर के साथ संलग्न किए गए टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र जो वस्तुतः निम्न बैकों से ही प्राप्त किए गए हैं :–

Øe la[;k	cSad dk uke	VhOMhO,lO dh jkf'k tks cSad }kjk dkVh xbZ
1	यूको बैंक, निगम बिहार, षिमला–171002	2,34,595.00
	यूको बैंक, निगम बिहार, षिमला–171002	
2	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	24,90,863.00
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	58,621.00
4	यैस बैंक	21,830.00
5	हिमाचल ग्रामीण बैंक	16,678.00
6	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	23,714.00
		₹28]46]251-00

जबकि हिमुडा द्वारा एफ0डी0आर0 खाते अनेक बैंकों में रखे गए है लेकिन टी0डी0एस0 के प्रमाण पत्र केवल छः बैंको के ही प्राप्त कर समायोजन वाऊचर पारित किया गया था। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या छः बैकों द्वारा ही टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई थी तथा शेष बैंकों द्वारा कुल ब्याज/अर्जित ब्याज खाते में जमा किया गया था यद्यपि शेष बैंकों द्वारा, अगर कुल ब्याज/अर्जित ब्याज बिना टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती किए बिना खाते में जमा किया गया है फिर भी सम्बन्धित बैंकों से टी0डी0एस0 की कटौती से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जायें ताकि यह सत्यापित हो सके कि बैंक द्वारा खाते में जमा किए गए ब्याज पर वित्तीय वर्ष के दौरान स्त्रोत पर आयकर कटौती की गई है या न ही। अतः वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए सभी बैकों में जहां भी हिमुडा द्वारा राषियों/पूंजी जमा की गई थी टी0डी0एस0 सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाऐं व तत्सम्बन्धी इन्द्राज खातों में किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

8-7 jkf'k ₹11-91 yk[k dk lkof/k fuos'k vuqfpr i)dkj ls fcuk rF;ksa dh iqf"V fd, vUr'k"k esa n'kkZuk %&

सावधि निवेष रजिस्अर के पृष्ठ 115 पर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में ₹11,91,571.00 की राषि का निवेष किया गया दर्षाया गया था परन्तु किए गए निवेष के सम्बन्ध में कोई भी सूचना अर्थात किस तिथि को राषि निवेष की गई, कितनी अवधि के लिए निवेष किया गया का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। तुलन पत्र के साथ संलग्न शडयूल के अनुसार यह राषि 03.01.2005 को निवेषित दर्षाई गई। सावधि निवेष रजिस्टर में की गई प्रविष्टि अनुसार केवल यह भी वर्णित किया गया है कि यह निवेष भुना लिया गया है परन्तु रोकड़ बही में आवष्यक प्रविष्टि नहीं ली गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ₹11,91,571.00 के निवेष बारे हिमुडा अधिकारियों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी तथा लेखा में लेखाकरण वास्तविकता को नजर अन्दाज करके किया गया था। सम्बन्धित त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित बैंकों से किए गए निवेष व इसके भुनाने बारे आवष्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करके लेखों में आवष्यक लेखांकन/कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

8-8 lkof/k fuos'k ys[kk ¼eq[; ys[kk½ dk 'kM;wy o [kkrk cgh 'k"k esa ₹19]672 dk vUrj ik;k tkuk

सावधि निवेष मुख्य लेखा के सम्बन्धित शडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि राषि ₹22,25,66,947.95 सावधि खातों में निवेष की गई थी जबकि खाता बही मे यह राषि ₹22,25,47,275.95 बनती थी। अतः सावधि जमा खाता से सम्बन्धित शडयूल व खाता बही शेष में ₹19,672 का अन्तर पाया गया यह अन्तर गत वर्षों से चला आ रहा है। पाए गए अन्तर के बारे में पूर्व वर्षों में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु आवष्यक सुधार हेतु कोई भी प्रयास नही ंकिए गए थे। अतः उपरोक्त वर्णित अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवष्यक सुधार नियमानुसार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

8-9 jkf'k ₹816-63 yk[k dk lkof/k ys[kk dk lR;kiu lEcfU/kr cSadksa ds izek.k i=ksa ls u djok;k tkuk %&

सावधि लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न बैंकों के सावधि लेखा में दिनांक 31.03.2011 को राषि ₹8,16,63,490.00 जमा दर्षाई गई। परन्तु इस राषि का सत्यापन बैंकों द्वारा जारी आवष्यक प्रमाण पत्रों से नहीं करवाया गया। सावधि लेखा के शडयूल रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि जमा राषियों की उचित सूचना स्वतः स्पष्ट रूप में नहीं दर्षाई गई। तैयार लेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि समय–समय पर किए गए निवेष की क्या स्थिति थी जिस कारण किए गए निवेष की उचित जाँच किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। सावधि निवेष का आवष्यक सत्यापन बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों से गत कई वर्षों से न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक प्रमाण पत्र अविलम्ब प्राप्त करके आवष्यक पुष्टि करवाई जाए।

उपरोक्त प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

Øe l[;k	cd dk uke	fnukd 31-03-2011 dk lkof/k y[kk e tek jkf'k
1	यूको बैंक, निगम बिहार, षिमला—171002	3,51,82,055.00
2	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक षिमला	11,91,571.00
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया षिमला—1	13,39,193.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लोअर बाजार षिमला	5,00,000.00
5	महाराष्ट्रा बैंक षिमला	15,00,000.00
6	यैस बैंक षिमला	30,00,000.00
7	युनाईटिड बैंक ऑफ इण्डिया षिमला	20,00,000.00
8	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स षिमला	8,37,871.00
9	यूनियन बैंक षिमला	3,16,12,800.00
		;kx ₹8]16]63]490-00

8-10 jkf'k ₹4-54 yk[k dk vUrj cd iek.k i= o lkof/k vfHky[k e ik;k tkuk %&

पी0एन0बी0 घोड़ा चौकी व एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र अभिलेख में वर्णित राषि के साथ मेल नहीं करते जिसमें राषि ₹4,54,034.73 का अन्तर पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।

Øe l[;k	cd dk uke	vfHky[kkuqlkj lkof/k [kkrk dk 'k"k	cd iek.k i= vuqlkj lkof/k fuo'k 'k"k ¼₹½ e
1	पी0एन0बी0 घोड़ा चौक, षिमला	25,00,000.00	26,04,188.00
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	10,50,801.95	14,00,648.68
		35]50]801-95	40]04]836-68
		vUrj	₹4]54]034-73

8-11 Lkkof/k fuos'k ij mfpr fu.k; u fy, tkus ds ifj.kkeLo:Ik jkf'k ₹33-02 yk[k dh C;kt ds :i esa de vftZr gkuk%&

सी0पी0एफ0 लेखों के सावधि निवेष की जाँच करने पर पाया गया कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 में तत्कालीन ब्याज दर जोकि 7.25% से 8% तक ही थी पर तीन वर्ष की लम्बी अवधि के लिए निवेष किया गया। वर्ष 2011 के पष्चात बैंकों के सावधि ब्याज दर में बढ़ौतरी होकर ब्याज की दरें 9.25% से 9.50% हो गई जिसे ध्यान में रखते हुए यह उचित होता कि किए गए निवेष पर पुनः विचार करके इन्हें यदि समय पूर्व भुना कर पुनः निवेष किया जाता तो लाखों रुपयों की राषि ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होती परन्तु हिमुडा अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिससे उक्त लेखा में अतिरिक्त आय की प्राप्ति नहीं हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 34 व 36, दिनांक 25, 28.02.2012 के द्वारा इस प्रकार के सावधि निवेष पर पुनः विचार/समीक्षा करके वर्तमान उच्च ब्याज दरों पर पुनः निवेष करने की सलाह दी गई जिसे ध्यान में रखते हुए निम्न विवरणानुसार ₹33,02,279.00 के अतिरिक्त ब्याज की प्राप्त होनी अपेक्षित थी। अतः सही समय पर उचित निर्णय न लेने के कारण राषि ₹33,02,279.00 की हानि बारे दायित्व निर्धारित करने के उपरान्त राषि की वसूली करना सुनिष्चित करें।

FDR No.	Date of Inverstment	Amount Invested	Date of Maturity	Rate of Interet	Applicable rate of Interest	Extra Interest to be earned
10815	30-04-10	30,00,000	30-04-15	7.25%	9.25%	1,80,000
668108	29-03-10	35,66,998	29-03-13	7.25%	9.25%	71,340
668107	31-03-10	40,34,666	31-03-13	7.25%	9.25%	80/,693
668164	12-04-10	80,00,000	12-04-13	7.25%	9.25%	1,60,000
668610	08-09-10	1,00,00,000	08-09-13	7.30%	9.25%	2,92,500
668623	07-09-10	43,25,742	07-09-13	7.30%	9.25%	1,26,527
668624	11-09-10	64,46,970	11-09-13	7.30%	9.25%	1,88,574
668679	18-09-10	24,15,688	18-09-13	7.30%	9.25%	70,658
668684	29-09-10	43,76,635	29-09-13	7.30%	9.25%	1,28,016
668723	01-10-10	59,44,685	01-10-13	7.30%	9.25%	1,73,882
668754	18-10-10	60,00,000	18-10-13	7.30%	9.25%	1,75,500
668980	20-12-10	79,52,034	20-12-13	8.00%	9.25%	1,73,950
668979	20-12-10	71,83,565	20-12-13	8.00%	9.25%	1,57,140

668978	20-12-10	42,01,588	20-12-13	8.00%	9.25%	91,909
668977	20-12-10	2,65,06,780	20-12-13	8.00%	9.25%	5,79,835
780925	20-03-11	1,03,28,343	20-03-14	8.50%	9.25%	1,54,000
418722	07-09-10	45,76,924	07-09-13	7.30%	9.25%	1,33,875
418806	15-10-10	26,41,454	15-10-13	7.30%	9.25%	77,262
418998	14-12-10	23,78,465	14-12-13	7.75%	9.25%	20,811
12161	21-10-10	50,00,000	21-10-13	7.50%	9.25%	1,31,250
12406	12-11-10	51,26,000	07-08-13	7.50%	9.25%	1,34,557
						₹33,02,279

9

lek;kstu okÅpj la[;k	ekl	jkf'k ¼₹½ esa
142	03/2011	91,65,367.00
143	03/2011	36,503.00
144	03/2011	1,44,474.00
145	03/2011	14,13,156.00
146	03/2011	1,28,634.00
147	03/2011	6,83,007.00

vkcafV;ksa ls izkIr jkf'k ₹115-71 yk[k dk mfpr izdkj ls ewy jkf'k o C;kt izkfIr esa ys[kkfdr u djuk ¼&

उपरोक्त समायोजन वाऊचरों द्वारा विभिन्न आवास बस्तियों जिनकी हिमुडा लेखाओं में फाईनल कौस्टिंग कर ली गई है, के आबंटियों से वर्ष 2010–2011 में प्राप्त हुई किस्त राषियों का समायोजन लेखा शीर्षों ''कौस्ट रिसीवेबल'' व ''ब्याज प्राप्ति'' में किया गया था यह समायोजन हाऊसिंग कालौनी बद्दी, शोघी, रामपुर, पावंटा साहिब, परवाणु तथा सोलन से सम्बन्धित था। उपरोक्त वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि आबंटियों से प्राप्त कुल किस्त राषि ₹1,15,71,141.00 को ब्याज की प्राप्ति लेखा शीर्ष में ₹55,85,161 तथा विभिन्न कलौनियों के ''कौस्ट रिसीवेबल'' लेखा शीर्ष में ₹59,85,980.00 की राषि समायोजित की गई। जाँच करने पर यह पाया गया कि इन दोनों लेखा शीर्षों को किया गया विभाजन अनुमान के आधार पर ही किया गया जबकि यह आबंटियों से प्राप्ति हेतु शेष रही मूल राषि के आधार पर उस पर देय ब्याज की गणना करके सही लेखांकन/समायोजन किया जाना अपेक्षित था। सम्बन्धित शाखा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया था कुछ प्रकरणों में समस्त प्राप्त राषि को ब्याज प्राप्ति

लेखा शीर्ष में ही समायोजित कर दिया गया।यदि कोई भी मूल राषि आबंटियों से लेने हेतु शेष ही नहीं थी, ब्याज किस राषि पर प्राप्त किया गया। उपरोकत वर्णित अनियमित समायेाजन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा लेखों में सुधार हेतु ठोस प्रयास किए जाने सुनिष्चित किए जाए।

9-1 **ys[kk 'kh"kZ dkLV vkQ lsy fjlhoscy dh jkf'k ₹438-33 yk[k ls lEcfU/kr Lor% Li"V vfHkys[k rS;kj u djuk** %&

लेखा शीर्ष कौस्ट ऑफ सेल रिसीवेबल के अर्न्तगत ₹4,38,33,573.78 की राषि दिनांक 31.03.2011 को शेष दर्षाई गई थी सम्बन्धित शाखा द्वारा उक्त शेष के समर्थन में कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। केवल कौस्ट रिसीवेबल की लूज़ शीट ही तैयार की गई है जिसे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया इसके अतिरिक्त वर्षात में इन शेष राषियेां का मिलान भी खाता बही के साथ नहीं किया गया था परिणामस्वरूप लाखों रुपयों का अन्तर तैयार अभिलेख व खाता बही शेष में पाया गयां इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया जिन कलौनियों की पूर्व लागत का समायोजन अर्थात फाईनल कौस्टिंग कर ली गई है उनके आबंटियों से प्राप्त हो रही राषियाँ भी बिना समायोजन किए ही किस्त प्राप्ति लेखा शीर्ष में ही अनियमित प्रकार से दर्षाया गया था अंकेक्षण द्वारा बार–बार सूचना मांगे जाने पर भी कोई विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। यद्यपि पाई गई उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितताएं पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रही हैं परन्तु आवष्यक सुधार हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः यह गम्भीर मामला पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

10 **jkf'k ₹9]678-63 yk[k ls lEcfU/kr vfHkys[k vads{k.k esa miyC/k u djokuk rFkk mDr jkf'k dk lek;kstu gsrq dkbZ Hkh iz;kl u djuk** %&

हिमुडा के वार्षिक लेखों अवधि 2010–2011 की जाँच करने पर पाया गया कि लेखा शीर्ष वर्क इन प्रोग्रैस पर परसैंटेज कम्पलीषन मैथड के अर्न्तगत ₹96,78,63,550.14 की राषि दर्षाई जा रही है। यह राषि वर्ष 2003–2004 से 31.03.2011 तक हिमुडा द्वारा प्रत्येक वर्ष के वर्क इन प्रोग्रैस में से प्रतिषतता के आधार पर लाभ हानि खाते में आय/लाभ के रूप में दर्षाकर इतनी ही राषि उपरोक्त वर्णित लेखे को वास्तविक समायोजन किए जाने तक लेखाबद्ध की जा रही है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2003–2004 से वर्तमान तक पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की फाईनल कौस्टिंग नहीं की गई थी। अरबों रुपये बिना समायोजन के ही लेखों में वर्क इन प्रोग्रैस में अनावष्यक रूप से शेष पड़े हुए हैं। हिमुडा द्वारा अनुमान के आधार पर दर्षाई गई प्रप्ति/आय के अनुसार आयकर विभाग को प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये का भुगतान किया गया परन्तु वास्तविक लाभ निकालकर आवष्यक समायोजन किए जाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप लाखों रुपयों का भुगतान अनुमानित आय पर किया गया। यह भी सम्भावित है कि अनुमानित

प्रतिषतता के आधार पर निर्मित कालौनी का आंका गया लाभ, वास्तव में कम अथवा हानि के रूप में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर का भुगतान भी प्रभावित हो सकता है। यद्यपि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः वर्ष 2010–2011 तक जिन कालौनियों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हे। उन कलौनियों की अन्तिम लागत निर्धारणोंपरान्त वास्तविक लाभ/हानि की गणना हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिष्चित की जाए।

11 vkoj Mk¶V d C;kt dh jkf'k ₹87-84 yk[k dk vufpr idkj l odl bu ikxl y[kk 'kh"k e lekfgr djuk %&

तुलन पत्र के साथ संलग्न शडयूल ''इ'' की जाँच करने पर पाया गया कि वर्क इन प्रोग्रैस लेखा शीर्ष के अर्न्तगत ₹6,00,11,01,262.74 की राषि विभिन्न निर्माण कार्यों में पूंजीगत व्यय के रूप में दर्षाई गई। उक्त राषि में ₹87,83,549 की राषि भी सम्मिलित थी जोकि एक पृथक लेखाषीर्ष ''इन्टरैस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट'' से सम्बन्धित थीं यह राषि गत वर्षों से संकलित होती चली आ रही है, जिसमे वर्तमान वर्ष की ₹17,67,130.00 की राषि भी सम्मिलित थी। ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज की राषि को वर्क इन प्रोग्रैस में समायोजित किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है क्योंकि यह राषि हिमुडा द्वारा लिए गए अस्थाई ऋण से सम्बन्धित थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ओवर ड्राफ्ट के ब्याज की राषि को सीधे लाभ–हानि खाता को चार्ज की जानी अपेक्षित थी। यद्यपि इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 87–89, दिनांक 24.03.2012 के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार की आपत्ति पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रही है फिर भी कोई कार्यवाही नियमों को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई थी। उपरोक्त प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

12 jkf'k ₹591-91 yk[k d _.k l lEcfU/kr vfHky[k r;kj@iLrr u djuk :–

तुलन पत्र के शडयूल ''बी'' के अर्न्तगत राषि ₹5,91,91,000 लेखा शीर्ष लोन अगेन्स्ट एफ0डी0आर0 के अन्तर्गत दर्षाई गई। परन्तु उक्त राषि के ऋण के सम्बन्ध में कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नही किया गया जिसके अभाव में कोई भी स्थिति लिए गए ऋण बारे स्पष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखां के साथ कोई भी स्वतः स्पष्ट शडयूल संलग्न नहीं पाया गया जिसके अभाव में आवष्यक जाँच की जानी सम्भव नहीं हो पाई। यद्यपि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी लेखों में कोई भी सुधार नहीं किया गया था। अतः इस गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विषेष रूप से लाया जाता है।

13 jkf'k ₹3]438-84 yk[k dh ith@Q.M ryu i= e u fn[kkuk :–

हिमुडा द्वारा सेवा निवृत कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी, लीव एन कैषमेन्ट व पैन्षन के दायित्व के भुगतान हेतु विभिन्न सोरेन्स कम्पनियों के साथ अनुबन्ध कर पोलसी/फण्ड बनाया गया है। अंकेक्षण द्वारा उक्त फण्डस/पालिसी/पालिसियों हेतु पूर्व वर्षों में किए गए भुगतान बारे समय–समय पर पूछा गया था परन्तु इस बारे में कोई भी अभिलेख/पालिसी डाकुमेन्टस अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए। किए गए भुगतानों को सीधे ''लाभ व हानि खाते'' में डैबिट किया गया था जोकि उचित प्रक्रिया नहीं थी। वर्तमान अंकेक्षण के समय में भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई पालिसीयाँ जो सम्भवतः पैन्षन व ग्रेच्यूटी के दायित्व के भुगतान से सम्बन्धित है, में पालिसी संख्या 317921 में ₹27,01,57,303 व पालिसी संख्या 317261 में ₹7,37,26,655 की राषि उक्त बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 31.03.2011 को प्रेषित किए गए प्रमाण पत्रों में दर्षाई गई थी जबकि हिमुडा द्वारा उपरोक्त निवेषित/फण्डस्/पालिसी में निवेषित राषि के लेखा शेष को तुलन पत्र में नहीं दर्षाया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व हिमुडा के लेखों की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता। अतः ₹34,38,83,958 की राषि को वार्षिक लेखों में परिलक्षित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। लेखा नियमों अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए।

14 jkf'k ₹337-00 yk[k dk xP;Vh Q.M cukdj fuft bU'kkjUl dEifu;k dh ^^;fuV fyDM Q.M** e vljf{kr fuo'k ½&

हिमुडा के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–2011 में निम्न वाऊचरों द्वारा विभिन्न इन्षोरेन्स कम्पनियों को यूनिट लिंक्ड स्कीम में निवेष हेतु भुगतान किया गया :–

Ø0 l0	Hkxrku okÅpj l[;k@fnukd	fuft bU'kkjUl dEiuh ftle fuo'k fd;k	Hkxrku dh xbl jkf'k ¼₹½ e
1	2143 01.10.2010	मैं0 बजाज अलाईंस लिमिटेड	1,00,00,000.00
2	3761 28.03.2011	मैं0 विरला सन लाईफ इन्षोरेन्स	1,00,00,000.00
3	3797 30.03.2011	मैं0 बजाज अलाईस लाईफ ईन्षयोरेंस	60,00,000.00
4	3798 30.03.2011	मै0 एस0वी0आई0 लाईफ इन्षोरेंस	77,00,000.00
		dy ;kx	₹3]37]00]000-00

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए अभिलेख में पाया गया कि उपरोक्त भुगतान/निवेष भविष्य में देय ग्रेच्यूटी दायित्व के ध्यानार्थ एक अतिरिक्त ग्रेचयूटी फण्ड बनाकर किया गया था। उपरोक्त किए गए भुगतान/भुगतानों में निम्न त्रुटियाँ पाई गई :–

14-1 ग्रेच्यूटी फण्ड बनाने की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

14-2 ₹3,37,00,000 की राषि का निवेष सरकारी प्रतिभूतियों/एफ0डी0आर0/सावधि जमा/सरकारी बैंकों में न करके जहाँ से ब्याज आय निष्चित होती है, बाजार पर आधारित युनिट लिंक्कड स्कीमज़ में निजि इन्षोरेन्स कम्पनीज़ के माध्यम से करवाया गया था अर्थात शेयर बाज़ार में वृद्धि के साथ निवेष की गई राषि में संवर्धन होता है तथा शेयर बाजार में गिरने के साथ निवेष की गई पूंजी में गिरावट आती है ऐसे में निवेष की गई राषि में अनिष्चितता की सम्भावना बनी रहती है तथा वर्तमान में बाजार में वास्तविक रूप से अनिष्चितता है तथा बाजार में कोई विषेष वृद्धि दर्ज नही की है ऐसी स्थिति में बाजार में निवेष की गई राषि/पूंजी में हानि/अवमुल्यन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यानार्थ न रखकर किए गए असुरक्षित निवेष के सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निवेष की गई पूंजी की अवमुल्यांकन की स्थिति में, जिम्मेवारी तय की जानी सुनिष्चित की जाए।

14-3 निवेष की गई राषि से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण में आवष्यक जाँच/पड़ताल/अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आगामी अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत किया जाए।

14-4 तुलन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शडयूल ''ई'' के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त शडयूल के क्रम संख्याः 13, जो वास्तव में ''बैलेन्स वीद शैडयूल वैक्स'' से सम्बन्धित है, में उपरोक्त निवेष की गई राषि ₹3,37,00,000 को ''ग्रेच्यूटी फण्ड अकाऊंटस'' के रूप में दर्षाया गया है जो अपने आप में सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता अर्थात उक्त शीर्ष से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में यह राषि बैंक में जमा है या कहीं और। अतः उपरोक्त निवेषित राषि को ''बैलैन्स वीद शैडयूल बैक्स'' के अर्न्तगत ग्रेच्यूटी फण्ड अकाऊंटस उप शीर्ष के रूप में दर्षाने सम्बन्धी औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे उचित शीर्षानुसार दर्षाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 81, दिनांक 23.03.2012 द्वारा सूचना मांगी गई थी परन्तु इस सन्दर्भ में हिमुडा से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

15 jkf'k ₹250-83 yk[k dk LFkkiuk 0;; ¼osru o HkÙkksa½ dk vuqfpr iqdkj ls dk;kZ@ifj;kstukvksa@Ldheksa esa MsfoV djuk :–

अंकेक्षण में पाया कि निम्नलिखित स्थापना व्यय (वेतन व भत्तों) विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों/कलौनियो/स्कीमज़ को जनरल वाऊचरों द्वारा डैबिट किए गए थे तथा स्थापना व्यय/ऐस्टेबलिषमैन्ट इन्सपैन्डिचर को क्रैडिट किया गया था :–

Øe la[;k	tujy okÅpj la[;k%@fnukad	e.My dk uke	jkf'k tks LFkkiuk 0;; dks ØsfMV o fofHkUu fuekZ.k

			dk;ki dk MfcV dh xbi gi
1	134, वर्ष 2010–2011	षिमला मण्डल–II	90,18,105.00
2	136, वर्ष 2010–2011	षिमला मण्डल–I	94,75,405.00
3	137, वर्ष 2010–2011	मण्डी	47,02,516.00
4	140, वर्ष 2010–2011	विघुत मण्डल, षिमला	18,87,410.00
		dqy ;kx	₹2]50]83]436-00

उपरोक्त समायोजन वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ₹2,50,83,436.00 की राषि निर्माण कार्यों को डैबिट की गई थी तथा स्थापना व्यय को क्रैडिट की गई थी जनरल समायोजन वाऊचर संख्याः 134, वर्ष 2010–2011 के साथ संलग्न की गई कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचि जिन्हें निर्माण कार्यों में सीधे कार्यरत/वर्क चार्जड दिखाकर इनके वेतन व भत्तों को सम्बन्धित निर्माण कार्यों में डैबिट दिखाया गया था परन्तु इन कर्मचारियों/अधिकारियों की वास्तविक तैनाती स्थान, इनके विरूद्ध डैबिट किए गए निर्माण कार्य से किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता है जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :–

Ø0 l0	uke o inuke	rSukuh LFkku	jkf'k	dk;l ft l dk uke Mkyh xbi gi
1	श्री हरिमन, वर्क इन्सपैक्टर	हिमुडा मुख्यालय	1,86,225.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट
2	श्री राजेष शर्मा, इन्सपैक्टर	हिमुडा मुख्यालय	1,86,225.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट
3	श्री नानक चन्द, इन्सपैक्टर	हिमुडा मुख्यालय	1,95,144.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट
4	श्री लीला नन्द	मण्डल कार्यालय	1,95,144.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट
5	श्री सुभाष	हि0प्र0 सचिवालय	1,65,896.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट
6	श्री हरिराम	हिमुडा मुख्यालय	69,533.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट
7	श्री घनष्याम	हिमुडा मुख्यालय	1,86,225.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैट, कण्डाघाट

8	श्री रमेष चन्द	हिमुडा मुख्यालय	1,47,298.00	रखरखाव कार्य, बसाल सोलन
9	श्री उमा षंकर	सर्कल कार्यालय	1,47,298.00	रखरखाव कार्य, बसाल सोलन
10	श्री महिन्द्र शर्मा	हिमुडा मुख्यालय	1,47,298.00	रखरखाव कार्य, बसाल सोलन
11	कु0 शान्ति देवी	मण्डल कार्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, कसुम्पटी
12	श्री सालिग राम	मण्डल कार्यालय	1,01,128.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, कसुम्पटी
13	श्री चन्दू राम	मण्डल कार्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, कसुम्पटी
14	श्री जय चन्द	मुख्य कार्यालय हिमुडा	95,235.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, कसुम्पटी
15	श्री देविन्द्र पाल	मुख्यालय हिमुडा	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
16	श्री धर्म दत	मुख्यालय हिमुडा	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
17	श्री देवी सिंह	हि0प्र0 सचिवालय	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
18	श्री हेत राम	मुख्यालय हिमुडा	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
19	श्री ओम प्रकाष	मुख्यालय हिमुडा	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
20	श्री किरपा राम	मण्डल कार्यालय	1,00,374.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
21	श्री अमी राम	मुख्यालय षिमला	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
22	श्री राज कुमार(II)	मण्डल कार्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रक्षन ऑफ फ्लैटस,

				बसाल सोलन
23	श्री भवन सिंह	हिमुडा मुख्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
24	श्री नरेष कुमार	हिमुडा मुख्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
25	श्री गीता राम	हिमुडा मुख्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
26	श्री कुषाल	हिमुडा मुख्यालय	1,44,817.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, बसाल सोलन
27	श्रीमति शान्ति वर्मा	मण्डल कार्यालय	1,44,817.00	रखरखाव व्यय शोधी
28	श्री हरि कृष्ण	मण्डल कार्यालय	1,44,817.00	रखरखाव व्यय शोधी
29	श्री सुमेष शर्मा	मण्डल कार्यालय	27,974.00	रखरखाव व्यय शोधी
30	श्री घनष्याम	हि0प्र0. सचिवालय	1,94,505.00	संस्कृत कॉलेज सोलन
31	श्री राम चन्द्र	मण्डल कार्यालय	1,44,143.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
32	श्रीमति सिम्मी वर्मा	हिमुडा मुख्यालय	1,43,668.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
33	श्री ओंकार सिंह	हिमुडा मुख्यालय	1,46,537.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
34	श्रीमति सुषमा	हिमुडा मुख्यालय	1,44,817.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
35	श्री जीत राम	हिमुडा मुख्यालय	1,46,537.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
36	श्री नरेष गुप्ता	हिमुडा मुख्यालय	1,47,298.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
37	श्रीमति शकुन्तला देवी	हिमुडा मुख्यालय	1,23,486.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस, कण्डाघाट सोलन
38	श्री इन्दर सिंह	हिमुडा मुख्यालय	83,118.00	कन्सट्रकषन ऑफ फ्लैटस,

कण्डाघाट सोलन

उपरोक्त विवरण स्वतः स्पष्ट करता है कि षिमला मण्डल–II के उपरोक्त विवरण में दर्षाए गए कर्मचारी हिमुडा मुख्यालय, मण्डल कार्यालय, हिमाचल प्रदेष सचिवालय में वास्तव में कार्यारत थे जिनके वेतन भत्तों/स्थापना व्यय पूर्ण रूप से रेवन्यू एक्सपैन्डीचर/Revenue Expenditure थे जिन्हें गलत/अनुचित ढंग से कैपिटलाईजड़ (Capitalised) करके, अनावष्यक रूप से कलौनियों के नाम डालकर, मुल्य वर्धन/संवर्धन किया गया है तथा रेवन्यू एक्सपैन्डीचर/ Revenue Expenditure में न दिखाकर अनावष्यक रूप से कुल लाभ में बढ़ौतरी हुई है।

उपरोक्त पूर्ण प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिमुडा द्वारा अधिकतर कार्य स्कीमों/कलौनियों का निर्माण संविदाकारों के माध्यम से करवाये जाते हैं तथा ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थापना व्यय ही निर्माण कार्य/निर्माणाधीन कलौनियों को डैबिट किए जा सकते थे जो सम्बन्धित निर्माण कार्य/कलौनियों में सीधे तैनात थे अंकेक्षण दल द्वारा अधियाचना संख्याः 70/2012, दिनांक 19.03.2012 में ₹2,50,83,436.00 की राषि को स्थापना व्यय को क्रैडिट कर विभिन्न कार्यो को डैविट करने बारे औचित्य स्पष्ट करने को कहा था तथा उन अधिकारियों/कर्मचारियों का तैनाती स्थान भी पूछा था जो सीधे निर्माण कार्यस्थल/निर्माणाधीन कलौनी में कार्यरत थे। हिमुडा द्वारा पत्र संख्या हिमुडा अकाऊंटस/वी0एस0एस0/319/2005, दिनांक 27.03.2012 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कहा। लिखा है कि सी0पी0डब्लयू0डी0 अकाऊंट कोड के पैरा 2(1) ऑफ अपैनडिकस–4 अनुसार वर्क चार्जड (रेगूलर) स्टाफ के व्यय/वेतन व भत्ते ठीक प्रकार से वर्क कन्टीजैन्सी को डैबिट किए है। परन्तु उपरोक्त दिए गए तथ्यों अर्थात कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती तथा वर्ष में कुल किए गए कार्यों जोकि संविदाकारों से करवाये गए को ध्यान में रखते हुए अनुचित प्रकार से स्थापना व्यय ₹2,50,83,436 रैवन्यू एक्सपैन्डिचर को क्रैडिट किया गया है निर्माणाधीन कलौनियों/कार्यों को डैबिट किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ तो हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2010–2011 में ₹2,50,83,436 से लाभ में अनावष्यक वृद्धि हुई है तथा दूसरी तरफ इतनी ही राषि से सम्बन्धित निर्माण कलौनियों/कार्यों की लागत में भी अनावष्यक वृद्धि हुई है। अतः उपरोक्त पूर्ण मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु विषेष रूप से लाया जाता है।

16 **jkf'k ₹366-16 yk[k dh jkf'k dk Lor% Li"V fooj.k d fcuk Reserve and surplus schedule d vUrxr n'kk;k tkuk%&**

हिमुडा के वार्षिक लेखों में ''Reserve and surplus'', schedule-A के क्रम संख्या 2 पर ''Interest Redemption Account'' लेखा शीर्षक के अर्न्तगत ₹3,66,16,025.17 की राषि अनेक वर्षो से दर्षाई जा रही जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

Øe la[;k	o"k	y[kk 'kh"kd

1	2002—2003	3,69,76,725.17 Cr
2	2003—2004	3,66,16,025.17 Cr
3	2004—2005	3,66,16,025.17 Cr
4	2005—2006	3,66,16,025.17 Cr
5	2006—2007	3,66,16,025.17 Cr
6	2007—2008	3,66,16,025.17 Cr
7	2008—2009	3,66,16,025.17 Cr
8	2009—2010	3,66,16,025.17 Cr
9	2010—2011	3,66,16,025.17 Cr

उपरोक्त वर्णित लेखा शीर्षक से यह स्पष्ट नहीं होता की Interest Redemption accout किस Loan/ Bank overdraft के interest हेतु बनाया गया है, तथा किस हाऊसिंग कलौनी/स्कीम के दायित्व से यह सम्बन्धित है। यद्यपि अनेक वर्षों से अंकेक्षण इस आपत्ति को उठाता रहा है फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः स्वतः स्पष्ट विवरण के बिना इतनी बडी राषि पड़ी रहना अपने आप में एक गम्भीर आपत्ति हैं उक्त प्रकरण पुनः आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

17 fofHkUu vkoklh; cLrh;ksa ls fiNys dbZ o"kksZa ls jkf'k ₹57-29 yk[k dh olwyh u djuk rFkk u gh vkcaVu jí djuk ¼&

खाता बहियों की पड़ताल पर पाया गया कि विभिन्न आवासीय कलौनी में आबंटित फ्लैट/प्लाट की राषि की वसूली आबंटियों से कई वर्षों से लम्बित है केवल आवासीय कलौनी भटोली (कलाँ) व मन्धाला बद्दी में ही विभिन्न वर्षों से ₹57,28,820.00 की वसूली लम्बित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राषि की वसूली हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। फ्लैट/प्लाट की एवज़ में राषि कई वर्षों से प्राप्त न होने के कारण उक्त फ्लैट/प्लाट के आबंटन की शर्तों के अनुसार रद्द किया जाना व धरोहर राषि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आबंटित कलौनियों के फ्लैट/प्लाट की ₹57,28,820.00 राषि की वसूली ब्याज सहित शीघ्र करने तथा जिन आबंटियों से राषि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आबंटन नियमानुसार रद्द करके धरोहर राषि को नियमानुसार जब्त करने तथा रद्द किए गए फ्लैट/प्लाट को पुनः बाजार भाव पर आबंटित करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त आवासीय कलौनी भटोली कलां व मन्धाला बद्दी के अतिरिक्त अन्य कलौनी जिनसे कई

वर्षों से फ्लैट/प्लाट की राशि की वसूली लम्बित है का विवरण तैयार करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17-1 <u>jkf'k ₹26-36 yk[k dh /kjksgj jkf'k dks tCr u djuk</u> ¼&

अंकेक्षण के दौरान आवास बस्ती मन्धाला बद्दी व औधोगिक क्षेत्र बद्दी, कालाअम्ब में आबंटित प्लाट की खाताबहियों की पड़ताल पर पाया गया कि राशि ₹3,09,62,460.00 मूल्य के आबंटित प्लाट में से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को केवल ₹26,35,500.00 धरोहर राशि की प्राप्ति हुई आवास बस्तीयां आबंटन हेतु बनाए गए नियम व औधोगिक क्षेत्र आबंटन हेतु बनाए गए नियम 12(iii) के अनुसार यदि आबंटियों के द्वारा प्लाट आबंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो प्राप्त धरोहर राशि को जब्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्राधिकरण द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे प्राधिकरण को ₹26,35,500.00 का नुकसान उठाना पड़ा। प्राधिकरण द्वारा प्लाट आबंटन हेतु बनाई गई शर्तों के अनुसार यदि आबंटित व्यक्ति द्वारा प्लाट आबंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो प्लाट का आबंटन रद्द किया जाना भी अपेक्षित था तत्पष्चात धरोहर राशि को जब्त किया जाना चाहिए था यदि आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट का आबंटन जिनका विवरण निम्न प्रकार से है रद्द किया जाता तो उस स्थिति में एक तो धरोहर राशि को जब्त किया जाता तो इन प्लाट की पुनः नीलामी करके प्राधिकरण द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी।

अतः ₹3,09,62,460.00 मूल्य के आबंटित प्लाट जिसका विवरण निम्न प्रकार है का आबंटन रद्द न करने व ₹26,35,500.00 की धरोहर राशि को जब्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आबंटित प्लाट का आबंटन रद्द करके व धरोहर राशि को जब्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Øe l[;k	vkokl h; cLrh dk uke	vkcfVr 0;fDr dk uke o irk	edku@IykV l[;k	vkcVu dh frfFk	fnukd ftl fnu vfUre jkf'k ikIr gbl	¶ySV@IykV dh vfUre ykxr	edku@IykV gLr ikIr dqy jkf'k	cdk;k jkf'k
1	भटोली कलां एल.–1 बद्दी	श्री अजय राधव मकान नम्बर 698, सैक्टर–7 पंचकुला	9/बी0के0सी बद्दी	31.05.05	30.03.06	2,86,000	1,02,430	1,83,570
2	भटोली कलां एल–1 बद्दी	श्री अष्वनी मस्सी नालागढ़	10/बी0के0सी0 बद्दी	31.05.05	12.07.07	2,86,00	1,59,500	1,26,500
3	भटोली कलां एल–1 बद्दी	श्री राम सिंह कालका	16/बी0के0सी0 बद्दी	06.06.05	16.09.05	2,86,000	47,000	2,39,000
4	भटोली कलां एल–1 बद्दी	श्री बसन्त पाण्डे बद्दी	26/बी0के0डी0 बद्दी	31.05.05	12.07.05	2,86,000	82,250	2,03,750
5	भटोली कलां एल–1 बद्दी	श्री परवीन पाल सन्जौली षिमला	17–बी0के0एफ0 बद्दी	25.06.05	02.08.05	2,86,000	47,000	2,39,000
6	भटोली कलां एल–1 बद्दी	श्री संजय कुमार मण्डी	20/बी0के0जी0 बद्दी	21.06.05	13.07.05	2,86,000	47,000	2,39,000
7	भटोली कलां एल–1 बद्दी	श्रीमति लक्ष्मी देवी	10/बी0के0के0 बद्दी	20.06.05	19.07.05	2,86,000	47,000	2,39,000
8	भटोली कलां बद्दी	श्री राम धनी पंचकुला	13/बी0के0डी0 बद्दी	22.03.06	19.04.06	3,39,000	60,000	2,79,000

9	मन्धाला फ्लैटस	बद्दी	श्रीमति हरबन्स रानी दिल्ली	कैट–3 फ्लैट नम्बर 401 बी0के0सी0–4	26.05.08	05.07.08	9,00,000	1,80,000	7,20,000
10	मन्धाला फ्लैटस	बद्दी	श्री राम कुमार दिल्ली	कैट–4 फ्लैट नम्बर 102–बी0के0ए0	26.05.08	28.06.08	4,25,000	85,000	3,40,000
11	मन्धाला फ्लैटस	बद्दी	श्री नवीन कुमार पानीपत हरियाणा	कैट–4 फ्लैट नम्बर 202–बी0के0ए0	26.05.08	26.08.08	4,25,000	85,000	3,40,000
12	मन्धाला प्लाट	बद्दी	श्रीमति कैलाष रानी चण्डीगढ़	टाईप–1 प्लाट नम्बर ए–1 मन्धाला बद्दी	17.07.07	29.06.09	19,20,000	7,80,000	11,40,000
13	मन्धाला प्लाट	बद्दी	श्री मान सिंह चण्डी मन्दिर पंचकुला	टाईप–1 प्लाट नम्बर ए–12 मन्धाला बद्दी	17.07.07	22.06.07	19,20,000	4,80,000	14,40,000
						dqy jkf'k	₹79]31]000	₹22]02]180	₹57]28]820

Øe l[;k	vkoklh; cLrh dk uke	vkcfVr 0;fDr dk uke o irk	edku@lykV l[;k	vkcVu dh frfFk	¶ykV@lykV dh vfUre ykxr	fnukd ftl fnu vfUre jkf'k ikIr gbZ	edku@lykV gLr ikIr dqy jkf'k	cdk;k jkf'k
1	मन्धाला बद्दी	श्रीमति सुनीता देवी मौहाली पंजाब	टाईप–1 प्लाट नम्बर ए0–47	17.07.07	19,20,000	1,92,000	17,28,000	41
2	मन्धाला बद्दी	श्रीमति अनिता खन्ना मौहाली पंजाब	टाईप–1 प्लाट नम्बर ए0–58	13.07.07	19,20,000	1,92,000	17,28,000	50
3	मन्धाला बद्दी	श्री संजीव कुमार चण्डीगढ़	टाईप–1 प्लाट नम्बर ए0–66	17.07.07	19,20,000	1,92,000	17,28,000	57
4	मन्धाला बद्दी	श्री राजेन्द्र कुमार दिल्ली	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–10	16.07.07	13,80,000	1,38,00	12,42,000	99
5	मन्धाला बद्दी	श्री ज्ञान चन्द षिमला	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–97	21.07.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	180
6	मन्धाला बद्दी	मेजर अमरजीत चण्डीगढ़	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–106	21.07.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	188
7	मन्धाला बद्दी	श्रीमति ज्ञान देवी कुरूक्षेत्र	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–120	21.07.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	200
8	मन्धाला बद्दी	श्री नरेष कुमार चण्डीगढ़	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–159	16.07.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	233

9	मन्धाला बद्दी	श्रीमति शषि भूषण कसुम्पटी षिमला–9	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–232	24.07.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	303
10	मन्धाला बद्दी	श्री प्रेम कुमार चण्डीगढ़	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–236	16.07कृ07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	307
11	मन्धाला बद्दी	श्री राकेष कुमार षिमला–9	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–237	16.07.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	308
12	मन्धाला बद्दी	श्री सुरजीत सिंह यू0टी0आई0 बैंक	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–158	14.08.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	320
13	मन्धाला बद्दी	श्री मोहन लाल षिमला	टाईप–2 प्लाट नम्बर बी0–114	18.09.07	13,80,000	1,38,000	12,42,000	324
14	औधोगिक क्षेत्र बद्दी	मैं0 रिलेक्स होम एप्लाइसेंज दिल्ली	प्लाट नम्बर–13 बद्दी	06.07.04	28,74,960	2,87,500	25,87,460	10
15	औधोगिक क्षेत्र बद्दी	मैं0 नियोल फार्मा बद्दी सोलन	प्लाट नम्बर–42 बद्दी	27.10.05	55,08,000	2,00,000	53,08,000	132
16	औधोगिक क्षेत्र मोगीनन्द कालाअम्ब	श्री हरी राम मण्डी	कैट–1 प्लाट नम्बर–43 मोगीनन्द कालाअम्ब	26.05.08	10,08,000	96,000	9,12,000	43
17	औधोगिक क्षेत्र मोगीनन्द कालाअम्ब	श्रीमति सुमन सिंह दिल्ली	कैट–1 प्लाट नम्बर 64 कालाअम्ब	26.05.08	20,11,500	96,000	19,15,500	64
				d|y jkf'k	₹3]09]62]460	₹26]35]500	₹2]83]26]960	

18 ,Q0ch0Vh0 ¼**Fring Benefit Tax**½ dh vfxze Hkxrku dh xbZ jkf'k ₹20-75 yk[k dk ykHk gkfu [kkrs esa vufpr 0;; fn[kk dj lek;kftr fd;k tkuk %&

Lkek;ktu okÅpj l[;k 172] o"kZ 2010&2011] jkf'k ₹6]75]000

lek;ktu okÅpj l[;k 173] o"kZ 2010&2011] jkf'k ₹14]00]000

उपरोक्त समायोजन वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि एफ0बी0टी0 एक्सपैंडीचर (लाभ हानि खाता) को डैबिट करके तथा एडवांस एफ0बी0टी0 (2009—10)(2008—09) को क्रैडिट करके वर्ष 2010—11 के लाभ हानि खाते में दर्षा कर समाप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 73 से 75/2012, दिनांक 20.03.2012 द्वारा आवष्यक सूचना मांगी गई, इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रति उत्तर में हिमुडा द्वारा पत्र संख्याः हिमुडा एकाऊंट/बी0एस0एस0/319/2006, दिनांक 27.03.2012 द्वारा सूचित किया गया कि एफ0बी0टी0 के प्रावधानो के अनुसार किसी भी कर्मचारी को हिमुडा की ओर से कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई थीं एफ0बी0टी0 का भुगतान अग्रिम रूप में आयकर विभाग को किया गया था। आयकर विभाग द्वारा अग्रिम दिए गए एफ0बी0टी0 की गणना की गई है।

हिमुडा द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि हिमुडा कर्मचारियों को एफ0बी0टी0 प्रावधानों के अनुसार कोई सुविधा नहीं दी गई थी, यदि कोई सुविधा नहीं दी गई थी तो अग्रिम भुगतान किए गए एफ0बी0टी0 की राषि को आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। परन्तु हिमुडा द्वारा अग्रिम दिए गए एफ0बी0टी0 की राषि को लाभ हानि खाते को डैबिट करके अनुचित प्रकार से समायोजित कर दिया गया। अतः हिमुडा अधिकारियों द्वारा आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त न करके इस अग्रिम राषि को एफ0बी0टी0 व्यय मान कर इसे वर्तमान वर्ष में लाभ—हानि खाते को राषि डैबिट कर दी गई जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराई जा सकती। इस प्रकार ₹20,75,000 को गलत प्रकार से दर्षाए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व राषि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अविलम्ब की जाए।

19 foKkiiu ij jkf'k ₹12-68 yk[k dk vufpr ,o vuiz;kxh 0;; o jkf'k ₹1]90]188 dk ljdkjh [ktkus dk gkfu igpkuk %&

हिमुडा मुख्यालय की रोकड़ बही एवं रोकड़ बिल/भुगतान वाऊचरों की जाँच—पड़ताल में पाया गया कि भुगतान वाऊचर संख्याः 3781, दिनांक 29.03.2011 द्वारा नलवाड़ मेला कमेटी बरछवाड, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेष) को ''नलवाड़ मेला 2011 पत्रिका/सौविनियर'' में विज्ञापन हेतु कुल ₹75,000 का भुगतान किया गया था अर्थात मेला कमेटी वरछवाड़ द्वारा एक प्लेन पेपर पर ₹75,000.00 का बिल हिमुडा कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया थां बिल तथा सम्बन्धित संलग्न की गई पत्रिका (मेला सोविनियर) के विस्तृत जाँच—पड़ताल में पाया गया कि जिस पत्रिका में विज्ञापन हेतु एक मुस्त इतनी बड़ी राषि अर्थात ₹75,000.00 व्यय किए गए थे का प्रचार व प्रसार केवल सिमित क्षेत्र तक ही था ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञापन की छपवाई हिमुडा के हितों व विस्तृत प्रचार को सामने रखकर न की गई हो। इस प्रकार उपरोक्त पत्रिका में विज्ञापन हेतु खर्च

की गई राषि पूर्णतया अनुचित एवं अनुपयोगी प्रतीत होती है, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष सरकार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के पत्र संख्याः 15–01/2006–पावति 14263–92, दिनांक 30.08.2006 में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त बोर्ड, कारपोरेषन व उपायुक्त कार्यालयों को विषेष रूप से अंकित करते हुए दिषा निर्देष दिए गए हैं कि डिस्पले विज्ञापनों पर 15% कमिषन के रूप में कटौती करके सरकार के आय शीर्ष 0220–60–300 में जमा करवाया जाना आपेक्षित था/है तथा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाई जानी आपेक्षित हैं। उपरोक्त प्रकरण में न तो विज्ञापन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाषित करवाये गए थे न ही 15% कमिषन काटकर सरकारी खाते में जमा करवाये गए थे जो नियमों की अवहेलना है। उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त वर्ष 2010–2011 में डिस्पले विज्ञापनों पर उपरोक्त वर्णित पत्र अनुसार कार्यवाही न करने के फलस्वरूप अनियमित एवं अनुपयोगी व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe l[;k	Hkqxrku okÅpj l[;k	if=dk@lkfofu;j dk fooj.k	Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	44 02.04.2010	नलवाड़ मेला समिति	75,000.00
2	172 09.04.2010	त्रिकाल ज्योतिष पेराविज़न	8,000.00
3	184 09.04.2010	युवक मण्डल, वल्याली	1,00,000.00
4	185 09.04.2010	नलवाड़ मेला समिति	75,000.00
5	186 09.04.2010	प्रेजिडैन्ट मेला कमेटी	1,00,000.00
6	396 23.04.2010	सचिव, युनाईटेड थेटर	2,000.00
7	411 23.04.2010	सचिव, सूद सभा	5,000.00
8	412 23.04.2010	अखिल भारतीय परिषद	1,00,000.00
9	478 29.04.2010	सरदार भगत सिंह मेमोरियल	40,000.00
10	496 30.04.2010	अषिमा मैथस	20,000.00
11	927 07.06.2010	बिलासपुर मित्र मण्डल	5,000.00

12	1307 09.07.2010	यूदय फारचूनर	10,000.00
13	1420 10.07.2010	षिषू मन्दिर	8,000.00
14	1432 21.07.2010	माता मुरारी देवी समिति	1,00,000.00
15	1792 30.08.2010	आपका फेयर प्रकाषन	20,991.00
16	1793 30.08.2010	सुर्या कमल विकली	15,000.00
17	1794 30.08.2010	ए0डी0एम0 षिमला	10,000.00
18	1818 31.08.2010	षिवरात्रि मेला, मण्डी	60,000.00
19	2408 30.10.2010	जुन–डू–कन गोजू–रु फेडरेषन, कराटे	20,000.00
20	2410 30.10.2010	हिम पेडिकॉन	15,000.00
21	2413 30.10.2010	हिम भाषी षिमला	7,600.00
22	2413 30.10.2010	इनवेस्ट केयर पब्लिक (प्रा0 लिमिटेड)	20,328.00
23	2415 30.10.2010	आल इण्डिया इन्डिपेन्डेन्ट कप हॉकी टूर्नामेन्ट, मण्डी (हिमाचल प्रदेष)	1,75,000.00
24	2416 30.10.2010	सनातन धर्म सभा	75,000.00
25	2584 18.11.2010	ऐसिसटैन्ट कमिषन्र, एम0सी0 षिमला	1,00,000.00
26	2979 06.01.2011	सचिव, कॉगडा रेड–क्रॉस	10,000.00
27	3768 28.03.2011	इतिहास दिवाकर, हमीरपुर	16,000.00
28	3781 29.03.2011	नलवाड़ मेला, मण्डी	75,000.00
		d|y ;kx	₹12]67]919-00

उपरोक्त विवरण स्वतः स्पष्ट करता है कि जिन पत्रिकाओं/सोविनियर में विज्ञापन प्रकाषित करवाये गए का प्रचार एवं प्रसार बहुत ही सिमित क्षेत्र/लोगों तक था इस प्रकार हिमुडा हितों को ध्यान में न रखकर उक्त राषि खर्च की गई व अनुपयोगी प्रतीत होती है इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं में छपवाये गए विज्ञापनों की दरें निर्धारित किए बगैर एक मुष्त राषि विज्ञापन/विज्ञापनों हेतु भुगतान की गई है जो अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है व इन विज्ञापनों पर 15% की कटौती दिषा–निर्देषों अनुसार न करके सरकारी खजाने को ₹1,90,188.00 की हानि पहुंचाई गई थी जो वस्तुतः या तो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजी जानी थी या आय शीर्ष 0220–60–300 में जमा की जानी अपेक्षित थी। अतः सरकार के दिषा–निर्देषों की अवहेलना व अनुचित/अनुपयोगी रूप से खर्च की गई राषि का मामला उच्चाधिकारियों एवं सचिव (आवास) के ध्यानार्थ विषेष रूप से आगामी आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

19-1 fMLiys cksMZ ij djok;s x, foKkiuksa ij [kpZ dh xbZ jkf'k dks fgeqMk ds ^^jksoU;w 0;;** vFkkZr ykHk@gkfu [kkrs esa u n'kkZ;k tkuk %&

हिमुडा के वार्षिक लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि लाभ/हानि खाते में ''डिस्प्ले बोर्ड ऑन एच0आर0टी0सी0 बस स्टैण्ड'' खाता शीर्ष के अर्न्तगत राषि ₹3,96,225 डैबिट की गई दर्षाई गई है। ये राषि हिमुडा मण्डल–1 में खर्च की गई थी इसके अतिरिक्त मण्डल लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ऐसे ही खर्चे/भुगतान हिमुडा मण्डल–2 व मण्डी में भी किए गए थे परन्तु डिस्पले पर किए गए खर्चों को सही शीर्षक अर्थात ''डिस्पले बोर्ड ऑन एच0आर0टी0सी0 बस स्टैण्ड'' में न दर्षाकर किसी अन्य शीर्ष में समाविष्ट करके छुपाया गया है। अतः व्यय की गई राषि को उचित शीर्ष में न दर्षाने सम्बन्धी औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा डिस्पले बोर्ड ऑन एच0आर0टी0सी0 पर खर्च की गई राषि को उचित लेखा–षीर्ष में लेखांकित किया जाए।

20 lsok fuo`Ùk vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa ds vodk'k [kkrksa dks iw.kZ@lR;kfir fd, fcuk vodk'k udnhdj.k dh jkf'k ₹7-47 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku %&

सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल पर पाया गया कि सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अवकाष नकदीकरण का भुगतान अवकाष खाता पूर्ण व सत्यापित किए बिना ही किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है नियमानुसार अवकाष खाता पूर्ण व सत्यापित करने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था अवकाष खाता पूर्ण व सत्यापित किए बिना अर्जित अवकाष नकदीकरण के सही भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अवकाष खाता पूर्ण व सत्यापित किए बिना ₹7,46,704 के अर्जित अवकाष नकदीकरण के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को जो अवकाष नकदीकरण का भुगतान किया गया के अवकाष खाते को पूर्ण व सत्यापित किया जाए तथा विभागीय स्तर पर पड़ताल की जाए कि जो भुगतान किया गया

क्या इतने दिन अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाष में शेष थे तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Øe l[;k	lsokfuo`r vf/kdkjh@deZpkjh dk uke inuke	lsok fuofr@eR;q dh frfFk	vof/k ftldk vodk'k [kkrk ik.kh ugh fd;k x;k	vftZr vodk'k udnhdj.k Hkqxrku dh jkf'k	fnukd ftl fnu Hkqxrku fd;k x;k
1	श्रीमति बिन्दु मैहता निजि सचिव	31.03.11	01.01.11 से 31.03.11	4,40,660	11,03.11
2	श्री रोषन लाल ठाकुर, अधीक्षक ग्रेड–2	30.04.10	01.01.10 से 30.04.10	3,06,044	27.04.10
			dqy jkf'k	₹7]46]704	

21 <u>Jh jRu pUn lgk;d vfHk;Urk dks jkf'k ₹0-60 yk[k dk osru o HkÙkks dk vf/kd Hkqxrku</u> %&

श्री रतन चन्द, सहायक अभियन्ता जो वर्तमान में हिमुडा मण्डल धर्मषाला में कार्यरत हैं की सेवा पंजिका की जाँच पड़ताल में पाया कि हिमुडा मुख्यालय के आदेष संख्याः ए–3–181/75–एडमन–खण्ड–1, दिनांक 22.05.2008 द्वारा उकत अधिकारी द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त हिमुडा द्वारा 01.01.2007 से अगला उच्चतर पूर्व संषोधित वेतनमान 10025–15100 तथा संषोधित वेतन मान में (15000–39100)+ग्रेड पे ₹6600 दिया गया था व संषोधित वेतन मान में उक्त अधिकारी का मूल वेतन ₹25500 + 6600 निर्धारित किया गया थां हिमाचल प्रदेष सरकार पत्र संख्याः द्वारा जारी दिषा निर्देषों अनुसार अधिकारी को अगली वेतन वृद्धि 01.01.2008 को देय थी तथा तदोपरान्त 01.01.2009, 01.01.2010 व 01.01.2011 को अगली वेतन वृद्धियां देय थी परन्तु उक्त अधीकारी की सेवा पुस्तिका में पाया कि अधिकारी को 01.01.2007 के बाद अगली वेतन वृद्धि 01.03.2007 व इसी क्रम में अगली वेतन वृद्धि 01.03.2008, 01.03.2009, 01.03.2010 व 01.03.2011 गलत प्रदान की गई थी गलत वेतन वृद्धियां प्रदान करने के फलस्वरूप कर्मचारी/अधिकारी को संलग्न प्रपत्र/विवरण अनुसार अधिक भुगतान किया गया है इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ध की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से की जानी सुनिष्चित की जाए। संलग्न विवरणानुसार अधिकारी को वेतन व भत्तों के रूप में राषि ₹59,694 का अधिक भुगतान किया गया है। पैरे के सन्दर्भ में की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

	n; oru			oru dk Hkxrku tks fd;k x;k					
vof/k	ey oru	egxkbZ HkÙkk	dqy	ey oru	egxkbZ HkÙkk	dqy	vf/kd	ekg	dqy vf/kd Hkxrku
01.01.07 से 31.03.07	32100	1926	34026	32100	1926	34026	—	3	—
01.04.07 से 30.06.07	32100	1926	34026	33070	1984	35054	1028	3	3084
01.07.07 से 31.12.07	32100	2889	34989	33070	2976	36046	1057	6	6342
01.01.08 से 31.03.08	33070	3968	37038	33070	3968	37038	—	3	—
01.04.08 से 30.06.08	33070	3968	37038	34070	4088	38158	1120	3	3360
01.07.08 से 31.12.08	33070	5291	38361	34070	5451	39521	1160	6	6960
01.01.09 से 31.03.09	34070	7495	41565	34070	7495	41565	—	3	—
01.04.09 से 30.06.2009	34070	7495	41565	35100	7722	42822	1257	3	3771
01.07.09 से 31.12.09	34070	9199	43269	35100	9477	44577	1308	6	7848
01.01.10 से 31.03.10	35100	12285	47385	35100	12285	47385	—	3	—
01.04.10 से 30.06.10	35100	12285	47385	36160	12656	48816	1431	3	4293
01.07.10 से	35100	15795	50895	36160	16272	52432	1537	6	9222

31.12.10									
01.01.11 से 31.03.11	36160	18442	54662	36160	18442	54602	—	3	—
01.04.11 से 30.06.11	36160	18442	54602	37250	18998	56248	1646	3	4938
01.07.11 से 31.12.11	36160	18442	54602	37250	18998	56248	1646	6	9876

dqy ;kx ₹59]694-00

22 foKkiuk d ,ot e lEiknd dk jkf'k ₹0-56 yk[k dk vf/kd Hkqxrku %&

विज्ञापनों के निम्नलिखित भुगतान/बिल वाऊचरों के अंकेक्षण/विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया कि सम्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल के अन्तिम शेष जो कुल में से छूट/Discount डिस्काऊंट आदि की कटौती करके आता है को नजरअन्दाज़ करते हुए कुल राषि अर्थात ग्रोस अमाऊंट को भुगतान योग्य मानते हुए भुगतान किया गया है जिसके चयनित माह 03/2011 में पाए गए कुछेक प्रकरण निम्नलिखित हैं :—

Hkqxrku okO l[;k@fnukd	foKkiu dk fooj.k ,o lEiknu	Hkqxrku okÅpjk e dqy Hkqxrku ;kX; n'kkbl xbl jkf'k	okLro e fcy vuqlkj ns; jkf'k	vf/kd Hkqxrku
3711 22.03.2011	द इण्डिन एक्सप्रैस को भुगतान	1,48,800.00	1,26,480.00	22,320.00
3712 22.03.2011	मैं0 मेल टूडे न्यूज़ पेपर प्रा0 (लिमिटेड)	1,92,000.00	1,63,200.00	28,800.00
3831 31.03.2011	मै0 दैनिक भास्कर षिमला	30,528.00	25,949.00	4,579.00

dqy ;kx ₹55]699-00

इस प्रकार उपरोक्त मामलों/भुगतान वाऊचरों में कुल ₹55,699.00 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या ₹55,699.00 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह के अतिरिक्त माहों में ऐसे मामलों की पड़ताल हिमुडा द्वारा अपने स्तर पर करें तथा यदि ऐसे मामले पाये जाते हैं तो अधिक किए गए भुगतान की वूसली उचित स्त्रोतों से करना सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 Jh jk'ku yky ik:idkj dk xyr oru fu/kkj.k d dkj.k ₹0-10 yk[k dk vf/kd Hkxrku ¼&

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेष आवास एंव शहरी विकास प्राधिकरण के प्रारूपकारों को दिनांक 19.11.86 से 1800–3200 का वेतनमान प्रदान किया गया तत्पष्चात हिमुडा के पत्र संख्याः सी0डब्लयू0पी0 संख्याः 1745/08, दिनांक 20.08.2011 द्वारा श्री रोषन लाल प्रारूपकार को दिनांक 19.11.1986 से 1800–3200 का वेतनमान प्रदान किया गया। श्री रोषन लाल प्रारूपकार को दिए गए संषोधित वेतनमान की सेवा पंजिका में की गई प्रविष्टियो की पड़ताल पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई :–

¼d½ श्री रोषन लाल का वेतन दिनांक 01.11.97 को वार्षिक वेतन वृद्धि पश्चात ₹7,660.00 तथा दिनांक 01.11.98 को ₹7,880.00 निर्धारित किया गया जबकि विभागीय जाँच के पश्चात हिमुडा के पत्र संख्याः सी0ई0एच0पी0ए0–3–562/83, दिनांक 10.04.97 के अनुसार उक्त कर्मचारी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ बिदआऊट कम्यूलेटिव प्रभाव के रोकी गई थी परन्तु जब उक्त कर्मचारी का दिनांक 19.11.86 से पुनः वेतन निर्धारण किया गया उस अवधि में श्री रोषन लाल को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई जोकि अनियमित है इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री रोषन लाल को ₹10,078.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण संलग्न है।

अतः श्री रोषन लाल प्रारूपकार का वेतन निर्धारण दिनांक 01.11.97 से 01.11.99 तक निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित है तथा उक्त अवधि में श्री रोषन लाल को ₹10,078.00 का अधिक भुगतान किा गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

lok iftdk vulkj fu/kkfjr oru		vdk{k.k vulkj tk oru fu/kkfjr fd;k tkuk vif{kr g	fVIi.kh
fnukd	oru	oru	
01.11.96	7,440.00	7,440.00	पत्र संख्या एच0पी0–3–562/83, दिनांक 10.04.97 द्वारा दो वेतन वृद्धि रोकी गई।
01.11.97	7,660.00	7,440.00	
01.11.98	7,880.00	7,440.00	

¼[k½ श्री रोषन लाल प्रारूपकार को दिनांक 19.11.86 को 1800–3200 का वेतन प्रदान करने के 16 वर्ष बाद दिनांक 19.11.2002 को प्रवीणता वेतन वृद्धि प्रदान की गई उक्त प्रवीणता वेतन वृद्धि विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिष बिना प्रदान की गई जोकि एक गम्भीर मामला है उक्त कर्मचारी को विभागीय जाँच के द्वारा 10.04.97 को दो वेतन वृद्धि बिना कम्यूलेटिव प्रभाव से रोक कर दण्डित किया गया था श्री रोषन लाल को विभागीय जाँच के पश्चात दण्डित किया गया तथा

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिष के बिना प्रवीणता वेतन वृद्धि प्रदान करना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अतः दिनांक 19.11.2002 को प्रवीणता वेतन वृद्धि प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा दिनांक 19.11.2002 से श्री रोषन लाल का पुनः वेतन निर्धारण करके श्री रोषन लाल को 19.11.2002 से अभी तक जो भुगतान किया गया उसकी वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Jh jk'ku yky dk fd, x, vf/kd Hkqxrku dk fooj.k

vof/k ftl gsrq vf/kd Hkqxrku fd;k x;k	ns; Hkqxrku				fd;k x;k Hkqxrku						
	csfld is	dqy osru	egxkbZ HkÙkk dh nj	dqyns; jkf'k ¼₹½ek	csfld is	dqy osru	egxkbZ HkÙkk dh nj	dqy jkf'k	vf/kd Hkqxrku	ekg o fnuksa dh la[;k ftl gsrq vf/kd Hkqxrku fd;k	dqy vf/kd Hkqxrku
01.11.97 से 31.12.97	7,440.00	7,440.00	13%	8,407.00	7,660.00	7,660.00	13%	8,656.00	249.00	2 माह	498.00
01.01.98 से 30.06.98	7,440.00	7,440.00	16%	8,630.00	7,660.00	7,660.00	16%	8,886.00	256.00	6 माह	1,536.00
01.07.98 से 31.10.98	7,440.00	7,440.00	22%	9,077.00	7,660.00	7,660.00	22%	9,345.00	268.00	4 माह	1,072.00
01.11.98 से 31.12.98	7,440.00	7,440.00	22%	9,077.00	7,880.00	7,880.00	22%	9,614.00	537.00	2 माह	1,074.00
01.01.99 से 30.06.99	7,440.00	7,440.00	32%	9,821.00	7,880.00	7,880.00	32%	10,402.00	581.00	6 माह	3,486.00
01.07.99 से 31.10.99	7,440.00	7,440.00	37%	10,193.00	7,880.00	7,880.00	37%	10,796.00	603.00	4 माह	2,412.00

dqy jkf'k ₹10]078-00

24 cSd lek/kku fooj.k rS;kj u fd;k tkuk ¼&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के अंकेक्षण के दौरान निम्न बैंकों के समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में रोकड़ बही शेष व बैंक पास बुक शेष के अन्तर की राषि का सत्यापन नहीं किया जा सका। बैंक समाधान विवरणिका तैयार न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अभाव में गबन/दुर्विनियोजन की शंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। सभी बैंकों के शेषों तथा पास बुकों के शेषों में कुल ₹2,31,55,945.76 का अन्तर है, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। सम्बन्धित शाखा द्वारा लगातार कई वर्षों से समाधान विवरणिका नहीं बनाई जा रही है जबकि नियमानुसार यह प्रत्येक माह के अन्त में तैयार की जानी अपेक्षित थी, यद्यपि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने बारे पूर्व अंकेक्षण मे भी आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी इसे तैयार किये जाने बारे कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितता आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ पुनः विषेष रूप से लाई जाती है।

Sr. No.	Name of Bank A/c No	Balance as per Pass Book	Blance as per Cash Book	Difference
1	SBI, Shimla-I account no. 10835924576	14,04,716.71	14,62,307.83	(-) 57,591.12
2	P&S Bank Shimla-1 account no. 1102	4,25,691.54	2,85,547.54	(+) 1,40,144.00
3	HP State Co-op Bank (Sectt) account no. 43520199907	1,40,96,090.00	63,15,313.00	(+) 77,80,777.00
4	ICICI Bank Shimla a/c no. 635305000168	6,44,553.17	6,16,053.82	(+) 28,499.35
5	UCO Bank, Nigam Vihar Shimla-2 account no. 9810200000049	6,84,17,057.72	61,73,528.01	(+) 6,22,43,529.71
6	ICICI Bank Shimla	70,20,986.00	70,20,976.00	(+) 10.00
7	State Bank of Patiala Shimla-1 account no. 5501285009-3	40,656.95	29,286.95	(+) 11,370.00

8	Canara Bank account no. 1964201000311	25,91,972.00	26,37,902.00	(-) 45,930.00
9	Indus Bank Shimla account no. 0185134644-060	1,44,62,300.35	1,38,26,428.00	(+) 6,35,872.35
10	Union Bank of India Shimla-1 account no. 309504010018077	2,15,61,018.83	4,33,63,130.35	(-) 2,18,02,111.52
11	IDBI Bank Shimla a/c no. 139102000000198	59,35,583.00	56,47,179.00	(+) 2,88,404.00
12	PNB, The Mall Shimla-1 account no. 0427002100503905	49,81,429.74	24,55,017.74	(+) 25,26,412.00
13	SBP, Chotta Shimla-2 a\c no. 55069385958	1,51,340.00	1,10,505.31	(+) 40,834.69
14	HP State Co-op Bank Ltd, Shimla-2 a/c no. 40620100386	62,89,940.00	63,05,000.00	(-) 15,060.00
15	AXIS Bank Shimla-9 a/c no. CA-050010200000912	66,01,724.00	4,13,79,631.50	(-) 2,79,08,942.18
16	AXIS Bank Shimla-2 a/c no. SB-050010100045225	68,68,965.32 1,34,70,689.32		
17	HDFC Bank Shimla-1 a/c no. 05242320000112	7,20,084.27	14,30,356.79	(-) 7,10,272.52
		₹16,22,14,109.57	**₹13,90,58,163.84**	

vUrj ¼₹16]22]14]109-57 & ₹13]90]58]163-84 ¾ ₹2]31]55]945-76½

25 okÅpj l[;k 234] fnukd 25-02-2011] jkf'k ₹43]379-00 cid lek/kku dh ₹43]379-00 dh jkf'k dk xyr rjhdk ls jkdM cgh es Hkxrku n'kk;k tkuk %&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय के अंषदायी भविष्य निधि खाते के उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा ₹43,379.00 का भुगतान दर्षाया गया है। भुगतान वाऊचर की विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि रोकड व बैंक खाता में पाए गए अन्तर की राषि ₹43,379.00 को अनुचित प्रकार से व्यय के रूप में दर्षाकर बैंक समाधान को सही किया गया। नियमानुसार तथ्यों के आधार पर रोकड़ बही व बैंक द्वारा की गई प्रविष्टियों को विस्तृत पड़ताल करके आवष्यक समायोजन तदानुसार ही किया जाना अपेक्षित था। गलत प्रकार से किए गए समायोजन का विवरण निम्न वर्णित है।

25-1 राषि ₹18,000.00 जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में दिनांक 01.05.2000 को बैंक द्वारा ₹16,13,713.00 के स्थान पर ₹16,31,713.00 डैबिट/भुगतान दर्षाया गया था। प्राधिकरण द्वारा बिना समायोजन/बैंक मिलान के ₹18,000.00 का भुगतान गलत तरीके से दर्षाकर समायोजित किया गया है।

25-2 राषि ₹25,174.00 की प्राप्त राषि दिनांक 31.03.2000 को चैक द्वारा बैंक में जमा नहीं दर्षाया गया था। जिसे अब उक्त वाऊचर द्वारा गलत तरीके से भुगतान दर्षा कर समायोजित किया गया है। ₹205.00 की राषि दिनांक 30.06.2008 को बैंक द्वारा डैबिट/भुगतान दर्षाया गया था तथा इस राषि को भी भुगतान वाऊचर द्वारा गलत ढंग से समायोजित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक मिलान तथ्यों के आधार पर करके लेखों में आवष्यक सुधार किया जाए।

26 jlhn l[;k 0096001 ls 0096009 rd dk mi;kx ugh fd;k tkuk %&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित माह 03/2011 के अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 0096001 से 0096009 तक की रसीदों का उपयोग नहीं किया गयां 0096009 से आगे रसीदों का उपयोग किया गया। उपरोक्त वर्णित रसीदों का उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

27 jkf'k ₹975-00 dh jkf'k cid deh'ku pkftt dk vfHkys[k iklr fd, fcuk 0;; n'kkuk %&

अंशदायी भविष्य निधि लेखा से बैंक कमीषन के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों के साथ बैंक द्वारा दिया गया सहायक पत्र/प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण जैसे कि बैंक कमीषन चार्जिज किस बैंक ड्राफ्ट/ट्रांजैक्षन इत्यादि से सम्बन्धित थे का अभिलेख संलग्न नहीं था और न ही आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा

इन्हें सत्यापित करके स्थिति स्पष्ट की गई थी। सहायक वाऊचर/उप वाऊचर के बिना ही चार्जिज के रूप में व्यय दर्षाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में इसी प्रकार की अनियमितताओं को न दोहराते हुए वर्ष 2008–2009 के पैरा 9(ख) राषि ₹9,411.00 वर्ष 2008–2009, वर्ष 2009–2010 में ₹5,531.00 तथा वर्ष 2010–2011 में ₹975.00 की राषि के बैंक चार्जिज के रूप में किए गए व्यय बारे पूर्ण विवरण बैंक से प्राप्त किया जाए तथा राषि का सत्यापन करके अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए :–

okÅpj l[;k	fnukd	cSd lek/kku dh :i eas fd;k x;k 0;; ¼₹½	cSd dk uke
233	25.02.11	315.00	यूको बैंक निगम बिहार
261	31.03.11	660.00	यूको बैंक निगम बिहार
	dqy ;kx	₹975-00	

28 vå'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrksa esa vå'knku dks le; ij tek u djokuk %&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के अंषदायी भविष्य निधि खातों (वर्ष 2010–11) की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा मण्डलों/मुख्यालय से प्राप्त होने वाले अंषदान प्रत्येक मास की 10 तारीख तक न तो प्राप्त किए जा रहे थे तथा न ही 10 तारीख से पहले बैंक खातों में जमा किए जा रहे थे। मास की 10 तारीख के बाद मण्डलों से प्राप्त अंषदान के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देरी से प्राप्ति के परिणामस्वरूप एक तो सी0पी0एफ0 की राषि पर ब्याज की हानि होती है, दूसरी ओर अंषदायी को उस सम्बन्धित मास पूर्व राषि पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मण्डलों/मुख्यालय से अंषदान को मास की 10 तारीख से पहले प्राप्त करना तथा बैंक में समय पर निवेषित/जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए :–

jlhn l[;k	ikfIr dh frfFk	jkf'k ¼₹½	0kru ekl	e.My dk uke
45130	21.04.10	27,91,000.00	03/10	मुख्यालय
45131	23.04.10	1,30,000.00	03/10	विघुत मण्डल षिमला–9
45158	22.06.10	45,000.00	05/10	मण्डल–1 षिमला
45156	15.06.10	4,19,294.00	05/10	मण्डल धर्मषाला
45152	17.06.10	5,79,093.00	05/10	मण्डल परवाणू

45168	16.07.10	3,63,650.00	06 / 10	मण्डल मण्डी
45186	26.08.10	15,828.00	07 / 10	बी0बी0एन0 बद्दी
45203	23.09.10	38,318.00	08 / 10	मण्डल–1 षिमला–9
45214	26.10.10	40,000.00	09 / 10	मुख्यालय षिमला–2
45225	23.11.10	5,64,062.00	10 / 10	मण्डल मण्डी
45267	24.02.11	5,69,800.00	01 / 2011	मण्डल–1 षिमला–9

29 ekg 03@2011 dk nkSjku LVs'kujh LVkWd iaftdk ls tkjh fd, x, 66 uEcj fje QksVksLVsV dkxt+ dh mi;ksfxrk ugha n'kkZuk %&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय षिमला के स्टेषनरी स्टॉक पंजिका मास 03 / 11 की जाँच करने पर पाया गया कि मार्च माह में जारी किए गए 66 नम्बर रिम फोटोस्टेट कागज़ जो भिन्न–भिन्न शाखाओं / अधिकारियेां को जारी किए गए थे, का उपयोगिता सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिसके अभाव में जारी किए गए 66 नम्बर फोटोस्टेट कागज़ों के इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः विवरणित फोटोस्टेट कागज़ों का उपयोग सम्बन्धी पंजिका को प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें अन्यथा 66 नम्बर रिमों का @170/- प्रति रिम की दर से ₹11,220 सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों से वसूल किया जाए।

30 isU'ku fuf/k va'knku ₹1]126-00 dk vf/kd Hkqxrku %&

धर्मषाला मण्डल के पैन्षन निधि के नियोक्ता अंषदान की पड़ताल पर पाया गया कि माह 02 / 11 के पैन्षन अंषदान में धर्मषाला मण्डल द्वारा श्री अछर सिंह अतिरिक्त सहायक अभियन्ता का 12% की दर से पैन्षन अंषदान ₹1,126.00 हिमुडा मुख्यालय को अधिक प्रदान किया गया जिसका भुगतान हिमुडा मुख्यालय द्वारा पैन्षन भुगतान की एवज़ में भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है नियमानुसार श्री अछर सिंह अतिरिक्त सहायक अभियन्ता के वेतन अनुसार ₹4,206.00 (₹35,047 @12%) की दर से भुगतान आपेक्षित था जबकि धर्मषाला मण्डल द्वारा ₹5,332.00 पैन्षन अंषदान का भुगतान किया गया।

इस प्रकार धर्मषाला मण्डल द्वारा 12% पैन्षन अंषदान के रूप में ₹1,126.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1,126.00 की राषि का भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में समायोजन किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 vof/k fnukd 15-05-2003 ds ckn lsokfuo`r deZpkfj;ksa ds fy, isU'ku ;kstuk ykxw djus ls vfrfjDr iHkkj %&

अंकेक्षण के दौरान सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए लागू पैन्षन योजना की पड़ताल पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 477 कर्मचारियों के लिए कर्मचारी समूह पैन्षन योजना लागू की गई इस योजना हेतु आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा के साथ दिनांक 14.03.2008 को अनुबन्ध किया गया अनुबन्ध के अनुसार 477 नियमित कर्मचारी व 58 दैनिक भोगी कर्मचारियों की पैन्षन हेतु प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को पैन्षन नियम 6-A(1) के अनुसार 12% वार्षिक वेतन नियमानुसार का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन(पैन्षन)–ए(3)–1/96, दिनांक 17.08. 2006 के अनुसार दिनांक 15.05.03 के पश्चात नियमित कर्मचारियों के लिए अंषदायी पैन्षन योजना लागू की गई अंषदायी पैन्षन योजना हेतु नियोक्ता व कर्मचारी द्वारा 10% की दर से अंषदान किया जाता है।

उक्त पैन्षन योजना की पड़ताल पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 477 कर्मचारियों में 77 उन कर्मचारियों को शामिल किया गया जिनका नियमितिकरण 15.05.03 के पश्चात किया गया जबकि हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा 15.05.03 के पश्चात नियमित कर्मचारियों हेतु अंषदायी पैन्षन योजना लागू की गई हैं 15.05.03 के बाद नियमित 77 कर्मचारियों जिनका विवरण परिषिष्ट ''ख'' पर दिया को कर्मचारी समूह पैन्षन योजना में शामिल करने से हिमाचल आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को निम्न प्रकार से अतिरिक्त भुगतान करना पड रहा है।

31-1 77 कर्मचारी जो 15.05.03 के बाद नियमित किए गए उन कर्मचारियें को कर्मचारी समुह पैन्षन योजना में शामिल करने से प्राधिकरण को भारतीय जीवन बीमा निगम को अतिरिक्त एक मुष्त भुगतान करना यदि इन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी अंषदायी पैन्षन योजना के अनुसार पैन्षन योजना का गठन किया जाता तो भारतीय जीवन बीमा निगम को जो एक मुष्त 31.37 करोड़ का भुगतान करना पड़ा उस स्थिति में प्राधिकरण को 31.37 करोड़ से कम भुगतान किया जाना था। 77 कर्मचारी जो 15.05.03 के पश्चात नियमित किए गए उनकी पैन्षन हेतु प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कितना एक मुष्त पैन्षन दायित्व का भुगतान किया गया हेतु मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 37, दिनांक 28.02.2012 द्वारा उठाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई विवरण अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया जिससे यह पुष्टि नही हो सकी उक्त कर्मचारियों को पैन्षन योजना में अनियमित रूप से शामिल करने से 31.37 करोड़ में कितनी अतिरिक्त राषि का भुगतान करना पड़ा। 77 कर्मचारियों को अनियमित प्रकार से पैन्षन योजना का लाभ प्रदान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त वर्णित 77 कर्मचारियों को अनियमित प्रकार से प्रदान की गई पैन्षन योजना से सम्बन्धित प्रकरण आवष्यक

उचित कार्रवाई हेत प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेष सरकार के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

31-2 77 कर्मचारी जो 15.05.03 के पश्चात नियमित किए गए उन कर्मचारियों की पैन्षन हेतु वेतन का 12% की दर से प्रतिमाह भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जा रहा है यदि इन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी अंषदायी पैन्षन योजना के अनुसार अंष दाई पैन्षन योजना का गठन करके शामिल किया जाता तो हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को पैन्षन हेतु केवल वेतन का 10% की दर से अंषदान करना पड़ता इस प्रकार 77 कर्मचारियों को अनियमित रूप से कर्मचारी पैन्षन योजना में शामिल करने से वेतन का 2% अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुचित/अनियमित प्रकार से लागू पैन्षन योजना के मामले की पुर्ण छानबीन करके वहन किए जा रहे अतिरिक्त भार वोर जिम्मेदारी निर्धारित की जानी भी सुनिष्चित की जाए।

31-3 दिनांक 31.03.2008 को कार्यरत 58 दैनिक भोगी कर्मचारियों को उक्त योजना में शामिल करने से हिमाचल प्रदेष आवास एवं आवास प्राधिकरण को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा पैन्षन येाजना में 58 दैनिक भोगी कर्मचारियों को उनके नियमितिकरण से शामिल किया गया इस कारण प्राधिकरण को भारतीय जीवन बीमा निगम को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा तथा उक्त कर्मचारियों के नियमितिकरण के पश्चात वेतन का 12% की दर से भुगतान करना पड़ा 58 दैनिक भोगी कर्मचारियों हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को एक मुष्त ₹31.37 करोड़ में कितनीराषि का भुगतान किया गया अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्याः 37/2012, दिनांक 28.02.12 द्वारा मामला उठाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा पैन्षन योजना की पड़ताल पर पाया गया कि उक्त पैन्षन येाजना में 15.05.03 से पूर्व नियमित कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए था जिससे हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को भारतीय जीवन बीमा निगम को पैन्षन हेतु ₹31.37 करोड़ का भुगतान न करना पड़ता तथा 15.05.03 के पश्चात नियमित 77 व 58 दैनिक भोगी कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेष सरकार के अनुसार अंषदायी पैन्षन योजना का गठन करके प्राधिकरण को वेतन का 10% की दर से भुगतान करना पड़ता जबकि वर्तमान में 12% की दर से भुगतान किया जा रहा है।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा कर्मचारी समुह पैन्षन योजना का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आषय के साथ ध्यानार्थ लाया जाता है कि 15.05.03 के बाद नियमित 77 कर्मचारी व 31.03.08 को 58 दैनिक भोगी कर्मचारियेां को हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी अंषदायी पैन्षन योजना के अनुसार पैन्षन योजना का गठन करके उसमे शामिल किया जाए तथा इन कर्मचारियों की पैन्षन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को जो भुगतान किया गया उस राषि की वापसी हेतु मामला उठाया जाए।

अतः कर्मचारी समुह पैन्षन योजना की समीक्षा की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 <u>fuek.k e.Myks ls lEcfU/kr [kkrk cfg;ks dk j[k&j[kko mfpr izdkj ls u fd;k tkuk</u> %&

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निम्राण मण्डलों से सम्बन्धित खाता बहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों में दर्ज विभिन्न शीर्षकों के अर्न्तगत राषियों का उल्लेख उचित प्रकार से नहीं किया गया, निम्न विवरणानुसार विभिन्न शीर्षकों के अर्न्तगत दर्ज राषियों का योग भी ठीक से नहीं किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में उचित सुधार किया जाए, अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र सूचित किया जाए।

fuek.k e.My dk uke	Ykk[kk 'kh"kd	ys[kk cgh i"B la[;k	jkf'k@;ksx tks fn[kk;k x;k	jkf'k@;ksx tks fn[kk;k tkuk pkfg, Fkk	vUrj	fVIi.kh
विघुत मण्डल हमीरपुर	ए0आर0/एम0ओ0 स्ट्रीट लाईट एट मोहाली	173	12478 Dr	22282 Dr	10804	राषि गलत लिखी गई।
विघुत मण्डल हमीरपुर	ए0आर0/एम0ओ0 स्ट्रीट लाईट एट देवता ग्राऊंड बजौरा	173	27704 Dr	16900 Dr	10804	राषि गलत लिखी गई।
विघुत मण्डल हमीरपुर	सी0/ओ0 2 नम्बर टी–1 पुलिस क्वार्टर एट नगरोटा बगवां	229	82991 Dr	82772 Dr	219	राषि गलत लिखी गई।
निर्माण मण्डल परवाणू	वाटर टैक्स चार्जिज नालागढ़	12	151567	143767	7800	राषि गलत।
निर्माण मण्डल षिमला–1	आर0/एम0 जिप्सी HP-03-3565	228	428753	428003	750	राषि गलत लिखी गई।
निर्माण मण्डल षिमला–1	सेलरी पेयबल एक्स0 अकाऊंट	235	14829110	14819110	10000	राषि गलत लिखी गई।

निर्माण मण्डल धर्मषाला	वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला घेरा चम्बा	2247254	2352746	105492	तलपट व तुलन पत्र में खातों का शेष उचित दर्षाया गया जबकि खाता बही में अन्तर की राषि कम दर्षाई गई।
मुख्यालय षिमला इन्सटालमैन्ट–1	कैट–3 बसाल सोलन	64049143	64056143	7000	तलपट व तुलन पत्र में खाते का शेष उचित दर्षाया गया जबकि खाता बही में अन्तर की राषि कम दर्षाई गई।

33 jkdM+ cgh dk y[kkdu@j[k&j[kko mfpr idkj ls u djus ds dkj.k ₹28-17 yk[k dk vUrj

हिमुडा के वार्षिक लेखों में ''Current Assets Loans and advances'', ''Schedule-E'' के क्रम संख्याः 37 से 40 पर ''रैक्टीफिकेषन'' लेखा शीर्षक के अर्न्तगत क्रमषः ₹11,63,271.00, ₹4,005, (–) ₹5,202, ₹16,54,770 की राषियाँ वर्ष 2006–2007, 2008–2009, 2009–2010 तथा अंकेक्षणाधीन वर्ष 2010–2011 से सम्बन्धित पाई गई। लेखा शीर्षक से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह रैक्टीफिकेषन किस मद से सम्बन्धित थी फिर भी पड़ताल करने पर पाया गया कि यह मदें रोकड़ बही में गत वर्षों से सम्बन्धित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित शाखा द्वारा रोकड़ बही के अन्तर को सुधार हेतु 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इस त्रुटि से स्पष्ट है कि रोकड़ बही का लेखांकन/रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है, तथा उपरोक्त अन्तर के मिलान हेतु कोई गम्भीर कार्यवाही शाखा स्तर पर नहीं की जा रही है। रोकड़ बही में पाये गए अन्तर का समाधान पांच वर्ष उपरान्त न किया जाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता व वित्तीय नियमों के भी विरूद्ध है, उपरोकत वर्णित गम्भीर त्रुटि/लेखों में आवष्यक सुधार किए जाने हेतु मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

34 vkcafV;ksa dh [kkrkcfg;ksa dk nksgjh y[kk i)fr ds fl)kUrksa ds vuqlkj j[k&j[kko u djuk %&

आबंटियों की खाताबहीयों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों का रख–रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार उचित प्रकार नहीं किया गया था नियमानुसार जिन

आबंटियों को फ्लैट/प्लाट का आबंटन किया गया उनसे जिस तिथि को राषि देय होगी उसकी प्रविष्टि डैबिट कॉलम में दर्षाई जानी अपेक्षित है तथा इन्सटालमैन्ट की राषि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी डैबिट कॉलम में दर्षाई जानी अपेक्षित है व आबंटित व्यक्ति से मूलधन व ब्याज की जितनी राषि शेष है उसकी प्रविष्टि खाताबही के शेष कॉलम में दर्षायी जानी अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटियों से देय इन्सटालमैन्ट की राषि की प्रविष्टि खाता बही के डैबिट कॉलम में नहीं की जा रही है न ही देय ब्याज की प्रविष्टि डैबिट कॉलम में की जा रही है आबंटियों से कुल कितनी राषि शेष है उसकी प्रविष्टि भी खाता बहीयों के शेष कॉलम में नहीं दर्षायी जा रही है। आबंटियों के खातों में दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार प्रविष्टि न करना एक गम्भीर अनियमितता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में खाता बहीयों का रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु लाया जाता है ताकि खाताधारकों के खातों की उचित पड़ताल की जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 y?kq vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

36 fu"d"kZ %& लेखों में अत्याधिक सुधार की आवष्यकता है

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

i"Bkdu la[;k %& फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)122/88–खण्ड–11 दिनांक, षिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

(1) प्रधान सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार षिमला–2

i`thd`r %& (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, षिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्षाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½

fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k dk e[;ky; fuxe fcgkj f'keyk&171002 dk vof/k 4@2010 ls 3@11 dk ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu dk vk/kkj ij vads{k.k iSjk dh fLFkfr

xr vads{k.k izfrosnu ¼&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही एवं सटिप्पण उत्तरों की पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत/अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है। आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को परामर्ष दिया जाता है कि अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु अविलम्ब वांछित कार्यवाही की जानी सुनिष्चित करें ताकि अनिर्णीत पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@85 ls 3@86

1	पैरा 13	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@90 ls 3@91

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@92 ls 3@93

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ङ)	अनिर्णीत

¼?k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@96 ls 3@97

1	पैरा 10	अनिर्णीत

¼³½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@97 ls 3@98

1	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 29(3)	अनिर्णीत

¼p½ vd{k.k ifronu vof/k 4@98 l 3@99

1	पैरा 9	अनिर्णीत

¼N½ vd{k.k ifronu vof/k 4@99 l 3@2000

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 29 (2)	अनिर्णीत

¼t½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2000 l 3@2001

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत
9	पैरा 27	अनिर्णीत
10	पैरा 32	अनिर्णीत
11	पैरा 61	अनिर्णीत

¼>½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2001 l 2@2002

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 27	अनिर्णीत
7	पैरा 31	अनिर्णीत
8	पैरा 47	अनिर्णीत

9	पैरा 48	अनिर्णीत
10	पैरा 50	अनिर्णीत
11	पैरा 51	अनिर्णीत
12	पैरा 52	अनिर्णीत
13	पैरा 53	अनिर्णीत

¼¥½ vid{k.k ifrosnu vof/k 4@2002 ls 3@2003

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 35 (क से छ)	अनिर्णीत

¼V½ vid{k.k ifrosnu vof/k 4@2003 ls 3@2004

1	पैरा 13	अनिर्णीत

¼B½ vid{k.k ifrosnu vof/k 4@2004 ls 3@2005

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 30(क,ख,ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 35	अनिर्णीत

¼M½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2005 ls 3@2006

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 23(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 23(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 25	अनिर्णीत
10	पैरा 31	अनिर्णीत
11	पैरा 32	अनिर्णीत

¼<½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2006 ls 3@2007

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 20	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत
6	पैरा 26	अनिर्णीत
7	पैरा 27	अनिर्णीत
8	पैरा 31	अनिर्णीत

¼.k½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2007 ls 3@2008

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत

6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत

¼r½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@2008 ls 3@2009

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 18(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(ज)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 23	अनिर्णीत
14	पैरा 26	अनिर्णीत

¼Fk½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@2009 ls 3@2010

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत

5	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 10	अनिर्णीत
10	पैरा 11	अनिर्णीत
11	पैरा 12	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 14	अनिर्णीत
14	पैरा 15	अनिर्णीत
15	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
16	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
17	पैरा 17	अनिर्णीत
18	पैरा 18	अनिर्णीत
19	पैरा 19	अनिर्णीत
20	पैरा 20	अनिर्णीत
21	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 21(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
24	पैरा 21(4)	अनिर्णीत
25	पैरा 22	अनिर्णीत
26	पैरा 23	अनिर्णीत
27	पैरा 24	अनिर्णीत
28	पैरा 25	अनिर्णीत
29	पैरा 26	अनिर्णीत
30	पैरा 27	अनिर्णीत
31	पैरा 28	अनिर्णीत
32	पैरा 29	अनिर्णीत
33	पैरा 30	अनिर्णीत
34	पैरा 31(1)	अनिर्णीत
35	पैरा 31(2)	अनिर्णीत

36	पैरा 32	अनिर्णीत
37	पैरा 33	अनिर्णीत
38	पैरा 34	अनिर्णीत
39	पैरा 35(1)	अनिर्णीत
40	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
41	पैरा 36	अनिर्णीत
42	पैरा 37	अनिर्णीत
43	पैरा 38	अनिर्णीत
44	पैरा 39	अनिर्णीत
45	पैरा 40	अनिर्णीत
46	पैरा 41	अनिर्णीत
47	पैरा 42	अनिर्णीत
48	पैरा 43	अनिर्णीत
49	पैरा 44	अनिर्णीत
50	पैरा 45	अनिर्णीत
51	पैरा 46	अनिर्णीत
52	पैरा 47	अनिर्णीत

iwoZ f'keyk fodkl ikf/kdj.k ds eq[;ky; ls lEcfU/kr iSjs %&

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@89 ls 3@90

1	पैरा 27	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@90 ls 3@91

1	पैरा 63	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@91 ls 3@92

1	पैरा 5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (न)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत

¼?k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@92 ls 3@93

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 28	अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ifronu vof/k 4@93 l 3@94

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 30 (ए से सी)	अनिर्णीत

¼p½ vd{k.k ifronu vof/k 4@94 l 3@95

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

¼N½ vd{k.k ifronu vof/k 4@95 l 3@96

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पेरा 12(5,6,9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(5 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(डी व ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(ए)	अनिर्णीत

¼t½ vd{k.k ifronu vof/k 4@96 l 3@97

1	पैरा 4(11)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 26(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत

¼>½ vd{k.k ifronu vof/k 4@97 l 3@98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ग),(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग,ख)	अनिर्णीत

5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(ग)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर)	अनिर्णीत

¼¥½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@98 ls 3@99

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15)	अनिर्णीत
7	पैरा 24 (ग)	अनिर्णीत

¼V½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@99 ls 15-01-2001

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,त,थ,द,ध)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2,3,4)	अनिर्णीत

ifjf'k"V ^[k**

Øe l[;k	uke	in	fu;fDr dh frfFk
1	श्रीमति मीरा चौहान	ए0एस0डी0	26.09.2005
2	श्री राजेन्द्र पाल	ड्राईवर	23.08.2006
3	श्री सुख देव	सर्वेयर	28.09.2005
4	श्री राम कृष्ण	कनिष्ट अभियन्ता	26.09.2005
5	श्री लाल चन्द	इलैक्ट्रिषियन	23.08.2006
6	श्री जितेन्द्र लाल	इलैक्ट्रिषियन	16.07.2007
7	श्रीमति प्रदीप कुमारी	कनिष्ट अभियन्ता	11.05.2006
8	श्री सुरेन्द्र शांडिल	वर्क इन्सपैक्टर	16.07.2007
9	श्रीमति आषा देवी	कनिष्ट ड्राफ्ट मैन	27.08.2006
10	श्री सुन्दर लाल	वर्क इन्सपैक्टर	10.05.2006
11	श्री मदन लाल	बेलदार	16.07.2007
12	श्री सुरेन्द्र कुमार	बेलदार	16.07.2007
13	श्री चिरागदीन	बेलदार	16.07.2007
14	श्री विषन दास	बेलदार	16.07.2007
15	श्री मोहिन्द्र सिंह	सफाई कर्मचारी	16.07.2007
16	श्री बलवन्त सिंह	बेलदार	16.07.2007
17	श्री शाम दीन	बेलदार	16.07.2007
18	श्री राकेष कुमार	बेलदार	16.07.2007
19	श्री अनिल कुमार	बेलदार	16.07.2007
20	श्री सुरेष कुमार	बेलदार	16.07.2007
21	श्री बिहारी लाल	बेलदार	17.07.2007
22	श्री सुभाष चन्द	बेलदार	16.07.2007
23	श्री चमन लाल	बेलदार	08.02.2007
24	श्री कृष्ण दत्त	बेलदार	02.08.2007
25	श्री दिनानाथ	बेलदार	02.08.2007
26	श्री धर्म चन्द	बेलदार	02.08.2007

27	श्री रमेष चन्द	बेलदार	08.02.2007
28	श्री केष राज	बेलदार	02.08.2007
29	श्री दिलबर चन्द	बेलदार	02.08.2007
30	श्री दिलबर सिंह	बेलदार	02.08.2007
31	श्री दिलबर सिंह	बेलदार	02.08.2007
32	श्री दर्षन लाल	बेलदार	08.02.2007
33	श्री ओम प्रकाष	बेलदार	02.08.2007
34	श्री योग राज	बेलदार	02.08.2007
35	श्री दिनेष कुमार	बेलदार	02.08.2007
36	श्री निर्मल सिंह	बेलदार	02.08.2007
37	श्री भीम राज	बेलदार	02.08.2007
38	श्री देस राज	बेलदार	02.08.2007
39	श्री धर्म सिंह	बेलदार	02.08.2007
40	श्री राम सिंह	बेलदार	02.08.2007
41	श्री रतन सिंह	बेलदार	02.08.2007
42	श्री सनदीप कुमार	बेलदार	19.02.2007
43	श्री सन्तोष कुमार	बेलदार	19.09.2007
44	श्रीमति सुमन कुमारी	सफाई कर्मचारी	19.09.2007
45	श्री होषियार सिंह	बेलदार	16.07.2007
46	श्री चन्दु राम	बेलदार	16.07.2007
47	श्री देवी सिंह	बेलदार	16.07.2007
48	श्री ब्रिज लाल	बेलदार	19.09.2007
49	श्री हेत राम	बेलदार	16.07.2007
50	श्री ओम प्रकाष	बेलदार	02.08.2007
51	श्री रोषन लाल	बेलदार	02.08.2007
52	श्री कुषल ठाकुर	बेलदार	02.08.2007
53	श्रीमति शान्ति वर्मा	बेलदार	19.09.2007
54	श्री सुमेष शर्मा	बेलदार	19.09.2007

55	श्रीमति सुषमा	बेलदार	19.09.2007
56	श्री लक्ष्मी नन्द	बेलदार	16.07.2007
57	श्री तुलसी राम	बेलदार	02.08.2007
58	श्री गुलजार सिंह	बेलदार	02.08.2007
59	श्री लज्जा सिंह	बेलदार	02.08.2007
60	श्री गीता सिंह	बेलदार	02.08.2007
61	श्री सुरत राम	चौकीदार	02.08.2007
62	श्री रमेष कुमार	बेलदार	02.08.2007
63	श्री भुपेन्द्र	बेलदार	16.07.2007
64	श्री दिवान चन्द	बेलदार	19.09.2007
65	श्री समपुरन सिंह	बेलदार	04.10.2005
66	श्री सतपाल	सफाई कर्मचारी	23.08.2006
67	श्री सुखदेव	बेलदार	02.08.2007
68	श्री रमेष चन्द	बेलदार	16.07.2007
69	श्री मेहर चन्द	बेलदार	16.07.2007
70	श्रीमति शकुन्तला	बेलदार	02.08.2007
71	श्रीमति फुला देवी	बेलदार	19.09.2007
72	श्री रतन चन्द	चपरासी	16.12.2007
73	श्री चेत राम	चौकीदार	16.07.2007
74	श्री सोहन लाल	चौकीदार	02.08.2007
75	श्री चतर सिंह	चौकीदार	19.09.2007
76	श्री भुषण लाल	बेलदार	02.08.2007
77	श्री राम लाल	बेलदार	16.07.07